पंचम माला, खंड, 55 अंक 10, मंगलवार, 20 जनवरी, 1976, 30 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV No. 10, Tuesday, January 20, 1976, Pausa 30, 1897(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10, मंगलवार, 20 जनवरी, 1976/30 पौष, 1897 (शक)

No. 10, *Tuesday*, *January* 20, 1976/*Pausa* 30, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers To Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 185, 192, 196 से 199, 201, और 203	Starred Questions Nos. 185, 192, 196 to 199, 201 and 203	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 186, से 191, 193 से 195, 200, 202 और 204	Starred Questions Nos. 186 to 191, 193 to 195, 200, 202 and 204	18—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 856 से 916	Unstarred Questions Nos. 856 to 916	23—56
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	56—61
विशेषाधिकार समिति—	Committee of privileges—	
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	61
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक—**पुरःस्थापित**	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill—*introduced*	61
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Ordinance—	62
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक—**पुरःस्थापित**	Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill—*Introduced.*	62

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य--	Statement Re: Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin . . .	64
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश का निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प--अस्वीकृत और	Statutory Resolution Re: Disapproval of Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Ordinance— Negatives and	
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समहरण) विधेयक--	Smugglers and foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Bill—	
श्री इराज्मु-द-सेकेरा	Shri Erasmo de Sequiera	64—65
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	72
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Parnab Kumar M ukherjee . .	66—67
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	67—68
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . . .	68—69
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha .	69
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	70
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra . .	70
खण्ड 2 से 27 और 1	Clause 2 to 27 and 1	72—77
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri . . .	77
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve . .	77
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	78
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Parnab Kumar Mukherjee . .	78
दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक--	Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P Shinde .	78—79 81—83
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	79—80
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	80
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai .	80—81
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shiv Nath Singh	81

विषय	SUBJECT	PAGES
खण्ड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1 . . .	83—85
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	85
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक—	Regional Rural Banks Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Parnab Kumar Mukherjee . .	85—86
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . .	86—87
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . .	87—88
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	88
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey . .	88
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi . .	88—89
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurruhman . .	89—90

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्बिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री डी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर. श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नूरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 20 जनवरी, 1976/30 पौष, 1897 (शक)

Tuesday, January 20, 1976/Pausa 30, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loss Suffered by Railways

*185. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways are running into loss this year ;

(b) if so, the reasons therefor and the estimated loss to be suffered till the end of the current financial year ; and

(c) whether Government are taking measures for checking the causes of this loss ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (ख) और (ग). चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों और अगले वर्ष के लिए बजट अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । अभी इतना समय पहले 1975-76 के वित्तीय परिणामों की सही स्थिति नहीं बतायी जा सकती । सदन के समक्ष पूरा ब्यौरा तभी प्रस्तुत किया जायेगा जब 1976-77 का रेलवे बजट पेश किया जायेगा ।

Shri M.C. Daga : In 1963-64 the net expenditure on Railways was Rs. 2634.2 crores when during 1973-74 it was Rs. 4791.4 crores. During 1963-64 the average expenditure on an employee was Rs. 1989, but during 1973-74 the average was Rs. 4033. I wanted to know whether the railways are running in loss or in profit. The hon. Minister said in the last Budget that the Railways will earn profit. Whether the railways are running in loss at present, if so, the reasons therefore and the steps taken to remedy the situation.

Mr. Speaker, sir, if you will not give us protection the Ministers will give evasive reply.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : On the railways the loss is not calculated monthwise, but at the end of the year, the position is quite improved and I hope better results will come.

श्री मूलचन्द डागा : 1961–62 और 1973–74 के दौरान जबकि प्रति एकक लागत 62 प्रतिशत से बढ़ कर 136 प्रतिशत हो गई है, उस समय में आय में वृद्धि 47 प्रतिशत ही हुई है। What concrete steps have been taken for reducing this expenditure ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We always try to reduce the expenditure and increase the earnings. Expenditure can be reduced by minimising new recruitment, workshop expenditure etc. Utmost attention is being paid towards all these things.

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है कि कुछ उद्योगों में मन्दी आ जाने के कारण माल ढुलाई में काफी कमी हुई है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : दिसम्बर 1975 में 170 लाख मी० ट० माल की ढुलाई हुई जो एक रिकार्ड है । अत: यह कहना सर्वथा गलत है कि माल की ढुलाई में कमी हुई है । दिसम्बर में 25,000 बड़ी लाइन के और 6000 मीटर लाइन के वैगनों का लदान हुआ ।

Shri D.N. Tiwari : If the Minister cannot give the profit and loss figures, he can at least indicate the trend.

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : There has been an increase in the expenditure as well as in profit. The actual position regarding profit and loss can be given only at the time of budget.

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मंत्रालय ने 1974 की हड़ताल के दौरान कर्त्तव्य परायण रहे कर्मचारियों को वेतनवृद्धि या पारितोषिक देने की कोई योजना बनाई है ? कितने लोगों को इनाम दिए गये तथा उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस व्यय की पूर्व स्वीकृति वित्त मंत्रालय से ली गई ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यद्यपि इस प्रश्न में यह प्रश्न नहीं आता परन्तु मैं इतना बता दूं कि कर्त्तव्य परायण कर्मचारियों को इसका इनाम मिलेगा तथा इसके लिए रुपया प्राप्त करना रेलवे के लिए कठिन नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें पता चला है कि इस मद पर 11 करोड़ रुपया व्यय किया गया है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । बाद में मैं वह जानकारी सदन को दूंगा ।

तेल की खोज के लिये संयुक्त उद्यमहेतु पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के साथ समझौते

*192. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन के साथ, उन देशों में दीर्घावधि तक तेल की सप्लाई, रियायती दरों और ऋण के आधार पर संयुक्त खोज तथा तेल निकालने के लिये समझौते किये गये हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) तेल भंडारों का संयुक्त अन्वेषण और उपभोग के लिए पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के साथ कोई करार नहीं किया गया है। तथापि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ईरान (अपतटवर्ती) और इराक (तटवर्ती) में तेल के लिए अन्वेषण कर रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का ईरान में, अपनी पूर्ण सहायक हड्रोकारबन्स इण्डिया लि० (एच आई एल) के द्वारा, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी (एन आई ओ सी) यू एस ए के फिल्पस पेट्रोलियम को और इटली के एजो आई पी के साथ संयुक्त उद्यम में साम्य पूंजी का 1/6वां हिस्सा अधिकार में है । ईराक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने आप अन्वेषण कर रहा है । आयोग को ईराक में विशिष्ट क्षेत्र में पेट्रोलियम के अन्वेषण/उपयोग और उससे उत्पादित पैट्रोलियम के विपणन आदि के लिए ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई एम ओ सी) को तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यक सेवाएं देनी हैं । वाणिज्यक खोज और उत्पादन के कारण सारे खर्च आई एन ओ सी से वसूल किए जएंगे और ओ एम जी सी को अपनी सेवाओं के लिए रियायती गारंटी किए गए बिक्री मूल्य पर क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल का कुछ विशिष्ट भंडार को खरीद करने के अधिकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : 'ओपेक' देशों से यह समझौता कब किया गया तथा इस दिशा में अभी क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री केशव देव मालवीय) : इराक से समझौता बहुत वर्ष पहले हुआ था और अरब समुदाय के एक भागीदार हैं। उसमें हमारा हिस्सा 6 लाख मी० ट० का है । जिसे साफ करने के लिए हम यहां ला रहे हैं ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : 'ओपेक' देशों की अपनी यात्रा के समय मंत्री महोदय ने कुछ देशों से इस बात को दृष्टि में रखते हुए महत्वपर्ण चर्चा की होगी । क्या चर्चा के दौरान तेल निकालने तथा उर्वरक आदि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के अवसरों के सम्बन्ध में कुछ सम्भावनाएं पैदा हुई और यदि उन देशों की अनुकूल प्रतिक्रिया है तो क्या हमारा देश इसका उत्पादन करेगा ?

श्री केशव देव मालवीय : कच्चे तेल के परिष्करण और अनुसंधान के सम्बन्ध में कई प्रश्नों पर चर्चा हुई, परन्तु इसके परिणामों के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : तेल उत्पादक देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने के कारण क्या ये देश हमें अन्य देशों की तुलना में कुछ रियायत देते हैं ।

श्री केशव देव मालवीय : हम उचित मूल्य पर कच्चा तेल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देशों से हमें कुछ रियायतें मिली हैं परन्तु कभी कभी उन्हें भी उन शर्तों का पालन करने में कठिनाई होती है, जिन पर वे हमें तेल दे रहे थे । अतः कभी तो हमें अपनी बात में सफलता मिली है और कभी नहीं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह जो करार किया जा रहा है इसके फलस्वरूप क्या तेल कुछ रियायती मूल्य पर मिलेगा और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के०डी० मालवीय : माननीय सदस्य किस करार का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि मैं तो कई देशों में जाता रहा हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : करार अब आपका तेल का उत्पादन करने वाले देशों के साथ हुआ है ।

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने बतलाया, एक विशेष मुद्दा है जिसके बारे में मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में बता सकता हूं कि क्या रियायत दी गयी है । बातचीत हमेशा होती रहती है । जब कभी भी उन्हें सुविधा होती है, ईराक या अन्य देश हमें रियायती मूल्य पर तेल दे रहे हैं । यदि कुछ रियायती मूल्य पर तेल दे सकने में वे समर्थ होते हैं तो वह ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु यदि वे ऐसा कर सकने में असमर्थ होते हैं तो स्पष्ट रूप से यह कह देते हैं कि उसकी विकास सम्बन्धी समस्याओं के कारण रियायती दर पर तेल देने में असमर्थ हैं । प्रत्येक देश अपने ही संसाधनों का विकास करने में व्यस्त है और अपना नियोजन कार्यक्रम चला रहा है । अतः जब कभी भी कुछ रियायती मूल्यों पर तेल देने की स्थिति में वे होते हैं हम उनसे रियायत ले लेते हैं ।

श्री के० हनुमन्तैया : श्रीमान जी, मंत्री महोदय ने बताया कि कई बार वह असफल हुये और कई बार सफल हुये । क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि वह भारत को रियायत दिलाने सम्बन्धी अपनी बातचीत में कितनी बार सफल हुये और कितनी बार असफल रहे ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान जी यह तो निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है । मैं बहुधा कई देशों को जाता रहता हूं । कुछ विशिष्ट मामलों में असफलता भी हुयी है कई बार हम सफल होते हैं, कई बार नहीं भी होते ।

श्री के० हनुमन्तैया : मेरा तो एक विशिष्ट प्रश्न था ?

कल्याणी के लिये रेल-सड़क पुल के लिये पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

*196. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कल्याणी के लिये एक रेलसड़क पुल के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना को तीन वर्ष पहले मंजूरी दे दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो अब इसे क्यों त्याग दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (सरदार बूटा सिंह) (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एच० एन० मुखर्जी, श्रीमानजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल सरकार के कल्याणी रेल-पुल बनाने के प्रस्ताव को नामंजूर क्यों कर दिया है जबकि इसका सम्बन्ध उस क्षेत्र में रेल यातायात का विकास करना ही नहीं, अपितु उस क्षेत्र के आर्थिक विकास से भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड ने इस पूर्णतया उचित प्रस्ताव को किन कारणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया ?

श्री बूटा सिंह : रेलवे बोर्ड के पास कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया। इस रेल पुल की, जिसे जुबली रेलवे पुल की नाम से जाना जाता है, उपयोगिता के बारे में काफी विचार होता रहा है। रेलवे द्वारा इस पुल को निरन्तर सुदृढ़ बनाया जाता रहा है। रफ्तार की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसे समाप्त करने का प्रयत्न भी हम कर रहे हैं क्योंकि इस पुल की लाइन क्षमता कम है। इस पुल को भारी यातायात के लिए कमजोर नहीं समझा जाता। रेलवे बोर्ड के समक्ष अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई इस प्रकार का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है। रेलवे बोर्ड यह महसूस करता है कि पुल के सुदृढ़ करके तथा उसका पुनर्निर्माण कर उसका उपयोग किया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यह बहुत अजीब बात है। मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि बंदेल और नंहाती के बीच इस पुल की हालत क्या है। इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। क्या देश के उस भाग में रेल यातायात के विकास का कोई विचार है ? उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिये। मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिये कि पुल के पार कारखाने किस प्रकार चलते हैं। यदि वृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र की रेल व्यवस्था को कुशल ढंग से चलाना है तो यातायात में सुधार करना ही पड़ेगा और इस दृष्टि से नदी के उस पार का यह रेल सड़क पुल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे यह समझ नहीं आता कि वह साफ-साफ यह क्यों नहीं कहते कि यह उनके विचाराधीन नहीं है। क्या इस क्षेत्र में रेल व्यवस्था के विकास कार्य की देखभाल करने का दायित्व रेलवे का नहीं है ? यह विचित्र परिस्थिति किस प्रकार जारी रहने दी जा सकती है ?

श्री बूटा सिंह : रेल-सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया था और उसकी संम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक दल का गठन भी किया गया था। यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान यातायात के लिए इसी पुल का उपयोग किया जाना चाहिये। रेल विभाग द्वारा इस योजना पर 10.24 करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की गई और इसके कार्य के बारे में 1974 में पूर्वी रेलवे के साथ विचार विमर्श भी किया गया। इसे अस्थाई रूप से स्वीकार करने का निर्णय भी किया गया तथा 1975–76 के बजट में भी कुछ व्यवस्था की गई। परन्तु यह इस लिए नहीं हो पाया क्योंकि राज्य सरकार की इसकी इसके बारे में कोई निश्चित योजना नहीं थी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपको मालूम ही है कि बृहत्तर कलकत्ता में काफी भीड़-भाड़ रहती है और हमें नहीं मालूम कि भूमिगत रेलवे का निर्माण निकट भविष्य में होगा या नहीं। अंग्रेजों के समय में हुगली नदी पर एक पुल हुआ करता था जिसे अब विवेकानन्द पुल के नाम से जाना जाता है और बैंडल से नैहाती तक एक पुल बनाया गया था। परन्तु कांग्रेस सरकार द्वारा 1947 के बाद पश्चिम बंगाल में किसी पुल का निर्माण नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए तथा उस क्षेत्र से सम्बद्ध रेल व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार इस मामले

पर पुन: विचार करेगी और हुगली नदी पर कल्याणी के ऊपर रेल-सड़क पुल का निर्माण करने के लिए रेलवे बोर्ड की आपत्ति को दूर करने पर विचार किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बूटा सिंह: माननीय सदस्य महोदय ने एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्नों को मिला दिया है। रेलवे के विकास की दृष्टि से हम पूर्वी क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि हमने वहां किसी पुल का निर्माण नहीं किया है। इस प्रकार अचानक इसका ब्यौरा दे पाना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। जहां तक कल्याणी के लिए रेल-सड़क पुल का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड या पूर्व रेलवे के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव के बिना उसके बारे में कुछ कहना कठिन होगा। परन्तु यदि भविष्य में इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो निश्चय ही हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय को केवल रेल यातायात के बारे में ही विचार नहीं करना है अपितु सड़क परिवहन के अन्य संगठनों के साथ विचार विमर्श करके वहां संचार तथा यातायात में भी सुधार करना है। तथ्य तो यह है अनेक मामलों में रेलवे अन्य सड़क संगठनों की सहायता कर रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे के पास कोई ऐसा प्रशिप्त प्रतिवेदन है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि उस क्षेत्र विशेष में रेल परिवहन की मांग अधिक है या सड़क परिवहन की। कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र के बीच संचार व्यवस्था के साधनों के विकास के लिए, वहां रेल-सड़क पुल की दौहरी व्यवस्था का होना अनिवार्य है। मंत्री महोदय ने बातया कि एक बार यह निर्णय किया गया था कि 1975–76 के बजट में इसके लिए कुछ धन राशि सुरक्षित कर दी जायेगी मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और क्या रेल मंत्री द्वारा पहले प्रस्ताव को ही स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य महोदय ने क्षेत्र में रेलसड़क संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। मैंने उन्हें नोट कर लिया है। जहां तक कुछ धन राशि को सुरक्षित करने सम्बन्धी मेरे पूर्व दिये गये उत्तर का सम्बन्ध है, वह सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जानी थी, और सर्वेक्षण की बात को स्वीकार नहीं किया गया। यही कारण है कि इसे आरम्भ नहीं किया जा सका।

अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये या जख्मी हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान

***197. श्री हरी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 तथा 1975 में अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी अपराधियों द्वारा मारे गये या घायल किये गये ; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों या आश्रितों को किस प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान किये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1974 में अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ों में रेलवे सुरक्षा बल के 4 कर्मचारी मारे गये और 128 घायल हुए थे जबकि 1975 में 5 कर्मचारी मारे गये और 96 घायल हुए ।

(ख) (1) रेलवे सुरक्षा दल के मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों अथवा आश्रितों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(i) रेल प्रशासनों द्वारा अनुग्रह के रूप में भुगतान किया जाता है ;

(ii) रेल मंत्री कल्याण और राहत निधि से सहायता ;

(iii) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति ;

(iv) रेलवे सुरक्षा दल के मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों/आश्रितों को रोजगार दिया जाता है,

(v) भविष्य निधि भविष्य निधि में विशेष अंशदान, पेंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान जैसे सामान्य लाभ ;

(2) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी घायल होने पर निम्नलिखित लाभ के पात्र हैं —

(i) गम्भीर रूप से घायल होने पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति ।

(ii) हल्की चोटें आने पर जिस किस्म का मामला हो उसी के अनुसार अनुपस्थिति की अवधि को अस्पताली छुट्टी माना जाता है ; और

(iii) मामले के गुणावगुण के आधार पर पुरस्कार दिये जाते हैं ।

Shri Hari Singh : Mr Speaker, Sir, I have read the reply given by the Hon. Minister and I am thankful to him for providing those facilities to the personnel of R.P.F. injured during their encounters with Criminals. At the same time, I want to know from hon, Minister whether our R.P.F. Personnel are equipped with latest weapons because in this scientific age, the Criminals are equipped with latest smuggled weapons If so, what kind of weapons have been made available to the Railway Force ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Armed Wing of R.P.F. has been well equipped with weapons with which criminals can be encountered quite successfully. I have got no informations about the type of these weapons.

Shri Shashi Bhushan : The bravery with which the Railway Protection Force has encountered the criminals deserves preciation. but I want to know if among those criminals those were frustrated youngmen of the so called total revolution, and they were also equipped with imported weapons. (*interruptions*) Wherever I speak, the Members of the C.P. I(M) distrub me. I want to ask my friends why do they disturb me only why don't they disturb other speakers ? I am only an innocent friend. I simply want to know the number of yougmen belonging to the so called total revolution who had indulged in the activities of breaking the Railway Line or of thefts ? Where from did they get those weapons ? What do you know about all this ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The names of those people who destroy their country's property are known to all. I need not tell about them in detail. But I must say this much that hey are the same people who talk of total revolution.

Shri Narsingh Narain Pandey: It has been said by the hon. Minister that there is a scheme for giving employment to 224 R.P.F. personnel who were injured and killed in 1974 and 1975. I want to know how many people were given employment and how many were helped otherwise under this scheme ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I have got the details with me. In cases where the bread winner had a son or any near relative, he was given employment. In case of death of the bread winner, the family is given a compensation upto Rs. 30,000 and in no case the compensation is less than Rs. 10,000.

Shri Md. Jamilurrahman : With your permission, I want to know how many R.P.F. personnels were killed in encounters with the criminals? How many R.P.F. personnels were killed while encountering the criminals engaged in wagon-breaking?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : All the Jawans were killed at the time of action. Some of them were killed at the time of encounter when railway wagons were being broken.

Shri Shanker Dayal Singh : According to the statement, 4 R.P.R. personnel were killed in 1974 and 5 in 1975 and 128 were injured in 1974 and 96 in 1975. I want to know in which area these people were killed and what are their areawise details?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Their details are as under:

Railway	killed		injured	
	1974	1975	1974	1975
Northern Railway	..	..	9	12
North-Eastern Railway	..	..	..	..
Eastern Railway	3	3	27	22
South-Eastern Rly.	..	1	35	10
Central Rly.	..	1	2	5
Western Rly.	..		..	..
Southern Rly.	..	..	10	14
North-East Frontier Rly.	..	..	..	..
South-Central Rly.	1	..	45	33
TOTAL . .	4	5	128	96

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के विवरण के अनुसार 9 व्यक्ति मारे गये थे । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मृतकों के उत्तराधिकारियों को रोजगार देने सहित इन लोगों को मुआवजा देने का कोई मामला निलम्बित पड़ा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : 1974 में मारे जाने वाले सभी व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है । 1975 में मारे गये 5 व्यक्तियों के मामलों की छानबीन की जा रही है ।

कलकत्ता में भूमिगत रेल

*198. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में भूमिगत रेल का निर्माण कार्य संभवत: कब तक पूर्ण होगा ;

(ख) उस पर व्यय संबंधी वर्तमान अनुमान क्या है ; और

(ग) समय व्यतीत होने के साथ व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) साधनों की कमी के कारण, चालू करने की मूल लक्ष्य--तिथि 1979 के सम्बन्ध में पुनर्विचार हो रहा है ।

(ख) 1973-74 के मूल्य-स्तरों के आधार पर इस परियोजना पर अब 250 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) परियोजना की समाप्ति तक लागत में वृद्धि होने के बारे में पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है । मैंने पूछा था कि समय व्यतीत होने के साथ व्यय में कितनी वृद्धि हुई है क्योंकि इस कार्य को करने में काफ़ी समय लगेगा । मूल अनुमान कितना था, अब उस अनुमानित व्यय में कितनी वृद्धि हुई है । समय बीतने के कारण इस अनुमानित व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस भाग का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : प्रारम्भ में 16.7 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने पर अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये आंकी गई थी । मैंने कहा है कि अब इस पर 250 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि यह कार्य 1979 तक पूरा हो जायेगा । हमें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है कि यह काम कब पूरा हो जायेगा या इस पर और दस वर्ष लगेंगे । हमें पता नहीं कि यह कार्य पूरा होने में कितने वर्ष लगेंगे । इस दौरान कलकत्ता में पेड़ काटे जा रहे हैं, मैदानों को उजाड़ बनाया जा रहा है और उस समूचे क्षेत्र पर घेरा डाला हुआ है । इस कार्य को पूरा किये जाने के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन न दिए जाने के कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अत: क्या मैं जान सकता हूं कि अब इस कार्य में कौनसी बाधा उत्पन्न हो गई है ? और विद्यमान बाधा को ध्यान में रखते हुए कितने समय के अन्दर इस काम के पूरा होने की आशा है ? क्या आपको इस बारे में कोई सही जानकारी है या आप केवल अनुमान ही लगा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि प्रारम्भ में 140 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था जिसमें लगभग 23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित थी । इस समय इसकी लागत 250 करोड़ रुपये होगी जिसमें विदेशी मुद्रा 38 करोड़ रुपये की होगी । एक समस्या यह है कि संसाधन कहां से जुटाये जायें । संसाधनों के अभाव के कारण मैं सही तिथि नहीं बता सकता किन्तु 1979 तक यह कार्य किसी भी तरह पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने अपना दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। यह कलकत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप अपने अनुभव से जानते हैं। वहां परिवहन तथा संचार की बड़ी कठिन समस्या है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि मंत्रालय को किसी तरह की वित्तीय कठिनाई है और यदि आप आवश्यक मशीनरी आयात करने की स्थिति में नहीं हैं तो शहर के केन्द्रीय क्षेत्र में कार्य थोड़ा-थोड़ा करके क्यों किया जा रहा है? सारे क्षेत्र पर आना जाना बन्द है, पेड़ गिराये हुए हैं, जिससे लोगों को कठिनाई हो रही है। वहां जो छोटा सा खुला मैदान है लोगों को उस पर चलने को मनाही है। यह किस तरह की आयोजना तथा कार्यक्रम हैं ? कुछ काम बेलगाचिया के उत्तरी भाग में हो रहा है। अब शहर के बीच में कार्य हो रहा है। बीच वाले भाग का क्या होगा—कोई नहीं जानता। दक्षिण भाग में क्या होगा, यह भी कोई नहीं जानता। मंत्रालय ने यह जाने बगैर कि अन्ततोगत्वा किस तरह के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी यह किस तरह की योजना बनाई है? उन्होंने 1973-74 के मूल्य स्तर को ध्यान में रख कर इसकी कुल लागत का अनुमान 250 करोड़ रुपये लगाया है। आज सन् 1976 चल रहा है हमारी समझ में नहीं आता कि यह मंत्रालय किस तरह का अनुमान लगा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जानबूझकर पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : सभी सम्बन्धित मंत्रालयों तथा योजना आयोग की यही राय है कि इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु कठिनाई यह है कि जब हमने कार्य आरम्भ नहीं किया तो कहा गया कि आप कार्य आरम्भ नहीं कर रहे। जब हम कार्य आरम्भ करते हैं तो कहा जा रहा है कि आप सुरंगें क्यों खोद हे रहैं? (व्यवधान) आप यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस कार्य में रुचि नहीं लेते। आप तो केवल आन्दोलन करने में रुचि रखते हैं। आप तो कवल बिगाड़ना जानते है (व्यवधान) क्योंकि आपको पता नहीं है कि निर्माण क्या होता है हम निर्माण कार्य करते आ रहे हैं। अतः आपको निर्माण का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कार्य शहर के विभिन्न भागों में क्यों किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : कार्य के लिए ठेका विभिन्न लोगों को दिया गया है। कार्य इंजीनियरों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सब सामान्य सूझ-बूझ की कमी है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : कभी कभी सामान्य सूझ—बूझ को ताजगी की जरूरत होती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यद्यपि कलकत्ता की तुलना में दुनिया के कई अन्य शहरों जैसे लेनिनग्राड में भूमिगत स्थिति कई ज्यादा कठिन है, फ़िर भी वहां भूमिगत रेलें हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जब सरकार ने यह योजना आरम्भ की थी तो उसी समय इस कार्य के लिये व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार क्यों नहीं किया ताकि अब जबकि उनका यह दावा है कि उन्हें प्रत्येक देशवासी का समर्थन प्राप्त है, यदि लोगों को यह पता चल जाये कि इतने समय के अन्दर वहां भूमिगत रेल बिछा दी जायेगी तो सरकार वहां के लोगों से सहयोग ले सकती है। इस सम्बन्ध में सरकार

ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और वे यह कार्य बहुत ही मन्द गति से आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही यह बड़ी अजीब बात है कि प्रश्नकाल के दौरान स्थिति के बारे में सही जानकारी देने की बजाय हमसे असंगत बातें की जा रही हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कलकत्ता में भूमिगत रेल लाइन बिछाने का कार्यक्रम तो तैयार कर लिया लेकिन दस वर्ष तक इस कार्यक्रम को अधर में लटका कर रखा। इस दौरान तो वहां सब कुछ अव्यवस्थित हो जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हमने रूसी विशेषज्ञों से बाहरी विशेषज्ञ सहायता ली है। वे इस परियोजना पर काफ़ी समय पहले से सम्बद्ध हैं। वहां से कुछ उपकरणों का आयात भी करना है। ऐसी बात नहीं है कि हम इस महा परियोजना के लिए अन्य देशों के लोगों के अनुभव का लाभ नहीं उठा रहे। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मुख्य कठिनाई धनाभाव की है। पहले अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपये थी जो कि अब 250 करोड़ रुपये है। हो सकता है कि लागत इससे भी अधिक हो जाये क्योंकि कुछ विदेशी उपकरणों तथा स्थानीय वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाये। परियोजना कार्य पूरा होने में विलम्ब होने का यही एकमात्र कारण है। सरकार ने इस पर कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं। मंत्री जी ने कहा है कि लागत में वृद्धि हो जाने के कारण यह बताना संभव नहीं है कि यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी। (क) यदि वह सही रूप से यह नहीं बता सकते कि लागत कितनी आयेगी तो वह किस आधार पर वार्षिक बजट तैयार करते हैं और यहां धन मांगते हैं। (ख) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1975 तक केवल 8 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है? (ग) क्या मैं जान सकता हूं कि सुरंग खोदने के लिए सोवियत संघ से कोई उपकरण आयातित किया जायेगा? यदि हां तो उसका मूल्य कितना है?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दे सकते हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : प्रतिशतता लगभग 8 है।

औषधियों के मूल्यों में कमी लाने के उपाय

*199. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् देश में निर्मित औषधियों एवं विदेशों से आयातित औषधियों के मूल्यों मे कमी लाने के क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ख) इन प्रयासों में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए निकट भविष्य में क्या अतिरिक्त उपाय करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) औषधों के मूल्य 1962 में सांवधिक नियन्त्रण के अन्तर्गत लाए गए थे। औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश 1970 में उचित स्तर पर औषधों के मूल्य निर्धारण करने के लिए विस्तृत प्रणाली की व्यवस्था है ।

(2) इस बीच में, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा लागत परीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित औषधों के मूल्य हाल ही में कम किये गए हैं :—

क्रम सं०	औषध का नाम	इकाई	पूर्व संशोधित मूल्य	अब सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य
1.	विटामिन बी 12 . .	ग्राम	100.00	95.00
2.	रिबोफ्लेविन–5 फास्फेट सोडियम फास्फेट . .	कि० ग्राम	2500.00 (फ्रेन्को इण्डिया)	2350.00 (सभी के लिये)
		कि० ग्राम	2800.00 (निवेषिता)	
			3,000,00 (आ।ईडीपीएल)	
3.	बेनजाथिन पेनीसिलिन .	कि० ग्राम	1263.00 (एच ए एल)	1375.00 (सभी के लिये)
			2000.00 (ज्योफे पद्धति)	

(3) राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रपुंज औषधों के मूल्यों को भी कम किया है :—

क्रम सं०	औषध का नाम	पूर्व संशोधन मूल्य रुपये/प्रति कि०जी०	संशोधित मूल्य रु० प्रति कि०जी०
1	एम्पीसिलिन एनीड्स . . .	2030.00	1540.00
2	एम्पीसिलिन सोडियम . .	1670.00	1300.00
3	एम्पीसिलिन ट्रीहीड्रेट . . .	1425.00	1105.00
4	क्लोरमफेनीकोल पालमीटेट . .	670.00	522.00
5	क्लोरमफेनीकोल पाऊडर (एकत्रित मूल्य) . .	646.00	524.00
6	क्लोरमफेनीकोल सोडियम ससीमेड . .	1060.00	748.00
7	इन्डोमेथासिन . . .	1316.00	816.68

इन औषधों के आधार पर बाद में सूत्रयोगों के मूल्यों में कमी हुई है ।

(4) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति ने औषधों के मूल्यों के बारे में ठोस सिफारिशें की हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में कठिनाई के बारे में प्राथमिक परीक्षण किए गए हैं। यह देखा गया है कि सिफारिशों को स्वीकार करने में कुछ मामलों में मूल्य कम करने में सहायता मिलेगी परन्तु उसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में आवश्यक औषधों के मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। इन संकेतों को ध्यान में रखकर सरकार प्रश्न पर सावधानी से विचार कर रही है ।

श्री शंकर राव सावन्त : जब खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से गिरावट आ रही है तो क्या कारण है कि औषधियों की कीमत में भी समान रूप से गिरावट नहीं आ रही। उत्तर में औषधियों के मूल्य में गिरावट बताई गई है वह बहुत ही असंतोषजनक है। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि पेनिसिलिन के मूल्य में 100 रुपये से अधिक की वृद्धि हो गई है। इस तरह की आवश्यक औषधि के मूल्य में इतनी वृद्धि क्यों हुई है।

श्री पी० सी० सेठी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर को एक बार फिर देख लें। एच०ए०एल० का मूल्य 1263 रुपये है किन्तु ज्योफ्रे पद्धति का मूल्य 2000 रुपये है। अतः अब सबके लिए मूल्य 1375 रुपये निर्धारित किया है जिससे एच०ए०एल० को, जो एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है, वृद्धि मिलेगी जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में यह मूल्य 2000 रुपये से घटकर 1375 रुपये हो जायेगा।

श्री शंकर राव सावन्त : किन्तु एच०ए०एल० की औषधियों के मूल्य में वृद्धि क्यों की जानी चाहिए ?

श्री पी० सी० सेठी : यह तो राय का मामला है। वास्तव में यह वृद्धि नहीं है। अपितु मूल्य 2000 रुपये से घटाकर 1375 रुपये किया गया है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें ज्ञात है कि महत्वपूर्ण औषधियां नकली बन रही हैं और यदि हां तो ऐसे नकली दवाइयों के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे कितने निर्माता गिरफ्तार किये गये हैं ? भविष्य में नकली दवाइयों का निर्माण रोकने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक नकली औषधियों का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य सरकार ने राज्यों में औषधि नियंत्रकों की नियुक्ति कर रखी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का भी एक औषधि नियंत्रण प्राधिकार है जो औषधियों के गुण-प्रकार नियंत्रण पर निगरानी रखता है। अतः यह कार्य इस स्तर पर किया जा रहा है।

श्री धामनकर : विवरण में यह देखा गया है कि राज्य व्यापार निगम ने अधिक प्रयोग में आने वाली दवाइयों के मूल्यों में 50 प्रतिशत तक कमी की है किन्तु वे जिन सूत्रयोगों को तैयार करते हैं उन्हें विभिन्न व्यापार नाम देकर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम से खरीदी गई इन औषधियों से तैयार की गई विभिन्न व्यापार चिन्हों वाली औषधियों के मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है या उठाये गये हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : विवरण में यह बताया गया है कि सात औषधियों के मूल्यों में की गई कमी के फलस्वरूप मिश्रणों के मूल्यों में भी गिरावट आयेगी।

श्री के० लकप्पा : यह केवल देश में उपलब्ध औषधियों के मूल्यों में ही कमी लाने का प्रश्न नहीं है अपितु देश में विद्यमान औषधि निर्माण प्रणाली में सुधार करने का भी प्रश्न है क्योंकि यहां घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करके उनकी सप्लाई की जाती है। अतः अति संवेदनशील वर्ग को औषधियों की सप्लाई करने सम्बन्धी मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां तक कि आपात-स्थिति के दौरान भी घटिया किस्म की औषधियां बेची जा रही हैं और ऊंचे दाम लिये जा रहे हैं। अतः इन बुराइयों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने हेतु क्या सरकार आपात स्थिति का लाभ उठायेगी। यदि हां, तो मंत्रालय क्या कदम उठाने की सोच रहा है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक औषधियों के मूल्यों का सम्बन्ध है, 1962–63 से औषधियों के मूल्यों पर औषधि मूल्य (प्रदर्शन और नियंत्रण) आदेश द्वारा नियंत्रण किया जाता रहा है। यह आदेश 1966 में भी संशोधित किया गया था। और 1970 में व्यापक मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था। वास्तव में इन सभी महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्य 1962 के स्तर पर स्थिर किये गये थे और जहां कहीं मूल्य बढ़ाने के लिए कहा गया है, उस पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा विचार किया जाता है और उनकी सिफारिश के पश्चात् ही मंत्रालय में उच्च शक्ति प्राप्त समिति इस पर विचार करती है और तभी मूल्य वृद्धि की अनुमति दी जाती है। जहां तक नकली औषधियों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्य सरकारों के पास औषधि नियंत्रक हैं और केन्द्र में औषधियों के गुण-प्रकार पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय सर्व-प्रकार से पर्यवेक्षण की व्यवस्था करता है। इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या इस तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे हर्ष है कि मूल्यों में कुछ कमी आई है किन्तु हाथी समिति ने दो विशेष सिफारिशें की हैं कि देश में विद्यमान बहु-राष्ट्रीय औषधि कम्पनियों को सरकार को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए और पेटेंटों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है और क्या औषधि-कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार का निर्णय न लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है ?

श्री पी० सी०सेठी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम दबाव में आकर काम नहीं करते। हम स्वतंत्र रूप से ऐसे निर्णय लेते हैं जो देश के लिए लाभकर होते हैं। जहां जहां 13 औषधियों के जातिगत नामों के बारे में हाथी आयोग की सिफारिशों का सवाल है हम ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी की थी और स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम कम से कम उन 6 दवाओं के बारे में परीक्षण शुरू कर सकते हैं जिनके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल उपसमिति को भेजा जा रहा है जो अन्ततः अपना अंतिम निर्णय करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : वे औषधियां कौनसी हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : इस समय तो मैं नहीं बता सकता लेकिन परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद अखबारों में यह खबर छपी थी जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, मैं सदन को विश्वास

दिलाना चाहता हूं कि हाथी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन से औषधियों के मूल्यों में कमी नहीं आयेगी क्योंकि इस समिति ने कहा कि सूत्रयोगों के मामले में बिक्री पर कम्पनियों को 12–13 प्रतिशत तथा 'ब्लक' औषधियों के मामले में 12–14 प्रतिशत लाभ दिया जाये। हमने मंत्रालय में यह कार्य शुरू किया था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर इतना लाभ दिया गया तो अधिक मूल्य 60–75 प्रतिशत हो जायेगा। कुछ सूत्रयोगों या टानिकों को छोड़कर जहां अधिक मूल्य 100 या 50 प्रतिशत से अधिक है मूल्य अवश्य कम होंगे लेकिन ऐसी कई औषधियां हैं जहां अधिक मूल्य 5-10 प्रतिशत हैं और अगर हाथी समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से मान लिया गया तो आवश्यक औषधियों के मूल्य बढ़ने की संभावना है। यही कारण है कि हमें इस विषय पर निर्णय करने में समय लगेगा।

अशोधित तेल के उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत

*201. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई में अशोधित तेल के उत्पादन से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है; और

(ख) वर्ष 1975 में बाम्बे हाई और अन्य स्थानों में अशोधित तेल का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1976 के अन्त तक इसका कितना उत्पादन होने की आशा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) 1976 के अन्त तक बम्बई हाई से उत्पन्न किये जाने वाले कच्चे तेल के मूल्य के रूप में विदेशी मुद्रा की बचत की रकम का अनुमान चालू अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर लगभग 37 करोड़ रुपये का है।

(ख) कच्चे तेल का कुल देशीय उत्पादन 1975 के दौरान 8.27 मिलियन मी० टन हुआ। 1976 के दौरान यह लगभग 9.0 मिलियन मी० टन तक होने की आशा की जाती है।

बम्बई हाई से 1975 के दौरान थोड़ी सी मात्रा के अतिरिक्त कच्चे तेल का कोई उत्पादन नहीं हुआ। बाबई हाई से 1976 के दौरान सम्भाव्य उत्पादन 0.5 मिलियन मी० टन होगा।

Shri Shashi Bushan : Mr. speaker, Sir, I want to know that what magic lies in the hand of the Hon'ble Minister that oil is struck in the well where the work is undertaken directly but no oils struck where drilling is undertaken by foreign cartels. How many foreign companies are participating in exploration of oil in Bombay High. Are you satisfied with their performance and has it fulfilled the expectations?

The Minister of Petroleum (Shri K.D. Malviya) : Mr. speaker, sir the First point is that I do not myself undertake any work But the fact is that experts of O·N. G.C make attempts in this egard O N G C has earned an international reputation and they have got sufficient experience. They make efforts and some times oil is struck I hope their efforts will be more successful. Three ships are on work in Bombay High Sagar Samrat is our own ship and two ships have been hired. An agreement has been entered into with one ship to the effect we can purchase it after sometime. In case we intend to purchase it negotiations will be carried on and if they like they will sell it work on all three ships is carried on mainly by our men from O N G C when they get education. They are utilising their previous experience. Few foreigners are working on salary basis we are not getting the services of any foreigners O N.G.C is working on its own in Bombay High and is self-sufficient in this regard.

Committee to provide Legal Aid to Poor

*203. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted any committee to provide legal aid to the poors

(b) whether the Central Government have allocated some funds to the various States under this head ; and

(c) if so, the State-wise figures thereof ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Shanker Dayal Singh : Many voluntary organisations and political parties have asked the Government time and again to provide legal aid to the poor. Whether Government has constituted a committee in this regard if not whether Government proposes to support or help those voluntary organisations that have come forward to offer legal aid to the poor, like National legal aid committee, lawyers committee for legal aid etc. so that they are able to render legal aid to the poor.

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए एक समिति का गठन किया है । उसका उत्तर यह था कि समिति का काम गरीबों को कानूनी सहायता देना नहीं है । कुछ समय पहले एक समिति गठित की गई थी जिस में कानूनी सहायता के लिए उचित विस्तृत योजना बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया । इस समिति की अध्यक्षता न्यायाधीश कृष्ण आयर ने की । उन्होंने इस प्रश्न के कई पहलुओं पर विचार किया और समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देने के बारे में उल्लेख किया है । उनकी एक सिफारिश यह थी कि निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए सभी राज्यों में निगमित निकाय बनाये जायें । वास्तव में सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है । सरकार कृष्ण आयर समिति की अधिकांश सिफारिशों को कार्यरूप देना चाहती है ।

जहां तक स्वयंसेवी संगठनों का सम्बन्ध है यह सच है कि पिछले वर्ष कई स्वयंसेवी संगठनों ने गरीबों को कानूनी सहायता देने की पेशकश की । अधिकांश वकीलों ने विभिन्न स्तरों पर न केवल महानगरों में अपितु जिला और तालुक स्तरों पर भी कानूनी सहायता देने की पेशकश की है । यद्यपि सरकार इन स्वयंसेवी संगठनों को यथासम्भव सहायता देगी फिर भी इस मामले में स्वेच्छिक आधार पर बहुत सहायता की आवश्यकता है ।

Shri Shanker Dayal Singh : Neither I am a lawyer nor do I know legal complexities. Such people have no practice in the profession come forward to give free legal aid to the poor. lawyers with good practice have no time and they are always busy in minting money. From where they will spare time to tender free legal aid. I would like to know whether any Change in the legistation will be made under which a code of conduct for the lawyers will be laid down so that it becomes abligatary on their part to undertake some cases of the poor per year free of charge and whether some sort of honorarium will be given to the lawyers who are already rendering free legal aid to the poor.

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न दो भागों में है। पहले तो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि केवल ऐसे वकील लोग मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती। यह कहना ठीक नहीं है : यदि किसी वजह से किसी वकील की वकालत नहीं चलती तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि वह गरीबों को कानूनी सलाह देने के काबिल नहीं। वास्तव में यह विश्व-विद्यालयों में सर्वविदित है, उदाहरणार्थ उन लोगों ने भी जिनके पास वकालत की डिग्री भी नहीं है उन्होंने भी विद्यार्थियों को कानूनी सहायता देने के लिए क्लिनिक खोल दिये हैं। अतः मैं माननीय सदस्य की इस धारणा से सहमत नहीं कि जिन लोगों की वकालत नहीं चलती वह गरीबों को कानूनी सहायता देने में सक्षम नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग, भाग्यवश जिनकी वकालत खूब चल रही है, गरीबी को कानूनी सहायता दे रहे हैं। कुछ और लोगों को स्वयं इस क्षेत्र में आना चाहिये। हमें बार ऐसोसिएशन, बार कौंसिल तथा अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि वह सभी कम से कम कुछ मुकद्दमे प्रतिवर्ष गरीबों के लिये निःशुल्क करें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि न केवल पश्चिम बंगाल में अपितु अन्य कई राज्यों में भी हजारों बटाईदारों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है। यह लोग समाज के सबसे दुर्बल और दलित वर्ग के हैं और अधिकांश इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं। धनी जमींदार उच्च न्यायालय तक पहुंच सकते हैं लेकिन यह लोग वकील नहीं कर सकते अपने मामलों को कचहरी में उचित रूप से सुनवाई नहीं करा सकते और परिणामस्वरूप हजारों बटाईदार बेदखल किये जा रहे हैं। सरकार और मंत्रालय की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है। मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि सरकार इन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। लेकिन जब उन्हें बेदखल कर दिया जाता है तो उस आपात स्थिति के दौरान क्या सरकार विशेष निर्देश जारी करेगी अथवा इन लोगों के लिये कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगी ताकि उन्हें सताया न जा सके और बेदखली से भी बचाया जा सके।

श्री एच० आर० गोखले : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। विशेषकर जहां काश्तकारों को बेदखल किया जाता है। कई मामलों में उन्हें उचित कानूनी सहायता नहीं उपलब्ध होती। कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत इसे अवश्य लिया जाना चाहिये और हम ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भी ध्यान है। उन्हें भी ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ होगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय ने कहा है कि समाज के दलित वर्ग कानूनी सलाह के अभाव में अत्यन्त दुःखी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 20 सूत्री कार्यक्रम तथा भूमि कानून से लाभान्वित होने वाले लोगों के बिना पैरवी के मामलों में कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि आज देश में छह लाख से भी अधिक भूमि सम्बन्धी मुकद्दमे विचाराधीन पड़े हैं। यदि सरकार स्वतन्त्र भूमि कानूनों के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता दे सकती है तो 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों को क्यों नहीं दे सकती ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य का प्रश्न पहले पूछे गये प्रश्न के समान ही है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में अथवा भूमि सुधारों सम्बन्धी विधान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध किया जाना है ताकि समाज के इन सब वर्गों को कानूनी सहायता प्राप्त हो सके ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार ऐसे मामलों में, जिनमें बर्खास्त कर्मचारियों या कमजोर वर्गों को न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है, कुछ ऐसी कार्यवाही करेगी कि ऐसे लोगों को न्यायालय फीस न देनी पड़े । सरकार आपात स्थिति का फायदा उठाते हुये राज्य सरकारों से यह अनुरोध क्यों नहीं कर सकती कि वे ऐसे वर्ग के लोगों को न्यायालय फीस देने के लिये न कहे । इससे उनको काफी लाभ होगा ?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक न्यायालय फीस का मामला है माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । इस बात का अनुभव करते हुये हमने परामर्शदात्री समिति, संयुक्त समिति स्तर राज्य सरकारों से ऐसे मामलों में न्यायालय फीस कम करने का मामला उठाया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भुवनेश्वर में परिवहन निदेशालय में कार्य आरम्भ होना

*186. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा राज्य से कच्चे माल के सुचारू परिवहन के लिये रेलवे मुख्यालय और गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता के बीच सम्पर्क रखने के लिए भुवनेश्वर में प्रस्तावित रेल समन्वय निदेशालय में कार्य आरम्भ हो गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं । उड़ीसा सरकार ने अभी तक प्रस्तावित निदेशालय तथा उसके अध्यक्ष के रूप में रेलवे के एक वरिष्ट अधिकारी का पूरा खर्च वहन करने की स्वीकृति नहीं दी है ।

Central Trade Unions of Railways Employees

*187. **Shri Ramavatar Shastri** : Will **the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number and names of central trade unions of employees of Indian Railways :

(b) whether these central organisations have laid down their policy in regard to emergency and the 20-point economic programme annuounced by the Prime Minister, and

(c) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) At the Centre, recognition has been given to two All India Railway Labour Federations namely (i) the All India Railwaymen's Federation and (ii) The National Federation of Indian Railwaymen.

Similarly recognition has been accorded to two unions on each Zonal Railway i. e. one union affiliated to each one of these Federations.

Besides these, there are a number of Central Trade Unions functioning on the Indian Railways which have not been given recognition either at the Central or at the Zonal level.

(b) & (c) The National Federation of Indian Railwaymen have fully supported the 20-point economic programme announced by the Prime Minister and to educate the railwaymen in its implementation of this Federation and its affiliated Unions are passing resolutions and holding Seminars at different levels.

The All India Railwaymen's Federation have expressed their support for the 20-point economic programme for the economic development of the country.

हाई स्पीड डीजल की माँग पूरी करने की नीति

*188. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाई स्पीड डीजल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में एक नयी नीति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). परिवहन एवं कृषि क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल अधिकतर आवश्यक पैट्रोलियम उत्पादों में प्रयोग किया जाता है । जहां तक अतिरिक्त विद्युत जनन के लिए इसके प्रयोग को कम करने तथा इसके उपयोग में दक्षता लाने के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं वहां इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त हाई स्पीड डीजल तेल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

*189. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) आन्तरिक शोधनशालाएं जो सभी देशी अशोधित तेल पर आधारित हैं वे गुजरात और असम में तेल क्षेत्रों से प्राप्त सारे अशोधित तेल को साफ़ कर रही हैं । तटवर्ती शोधनशालाएं आयातित कच्चे तेल पर आधारित हैं उन्हें, विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों और सम्बन्धित सप्लाई क्षेत्रों में उत्पादों की मांग के कारण चालू वर्ष के दौरान कम स्तर पर कार्य करना पड़ेगा ।

मद्रास रिफाइनरीज का विस्तार

*190 **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के०डी० मालवीय): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव में तेल शोधन क्षमता का 2.8 मी० टन प्रति वर्ष से 3.5 मी० टन प्रति वर्ष तथा ल्यूब क्षमता का 200,000 मी० टन से 270,000 मी०टन प्रति वर्ष विस्तार तथा 20,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला पेराफिन वैक्स संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना है ।

राष्ट्रीय औषध विकास प्राधिकरण

*191. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय औषध विकास प्राधिकरण की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त औषध विकास प्राधिकरण भारत में औषध-निर्माण सम्बन्धी आयोजन करने, लाइसेंस देने तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का पूरा कार्यभार संभालेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) कार्यों के प्रवाह तथा आवश्यक औषधों के उत्पादन एवं अधिकतम लोगों में वितरण करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से औषध और भेषज उद्योग समिति ने एक सांविधिक निकाय जिसे भारत का राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के नाम से पुकारा जाए स्थापित करने की सिफारिश की। समिति द्वारा एन० डी०ए० के विभिन्न कार्य, उसकी बनावट तथा वित्त सम्बन्धी तरीके भी बताए गये हैं। समिति द्वारा बताए गये तरीकों पर एन० डी० ए० के सृजन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें विशेषकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में विद्यमान संविधिक उत्तरदायित्वों के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है ।

तेल का उपयोग कम करने की माँग

*193. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में देश में तेल का उपयोग कम करने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो देश की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जबकि देश की कुल ऊर्जा की सारी आवश्यकता को अनिवार्य रूप से पूरा करते हुऐ अनावश्यक खपत को कम करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए राजस्व तथा विनियमित साधनों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग को रोका गया है। कोयले के प्रयोग को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने के लिए बढ़ावा दिया गया है विद्युत प्रजनन क्षमता तथा कोयले का उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। ऊर्जा के गैर-परम्परागत के संसाधनों विकास कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

रेल विकास के लिए निर्धारित राशि

*194 **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास के लिए 2,350 करोड़ रुपये की राशि नियत करने का प्रस्ताव: है ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इसके लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को विस्तृत रूप से जांच करने के बाद, रेलों के विकास कार्यक्रम के लिये योजना आयोग ने 2,350 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है और उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल कर लिया गया है।

बेकार पड़े भाप के रेल इंजनों की मरम्मत

*195. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भाप के रेल इंजन बेकार पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तेल की खपत में किफायत बरतने के लिए उनकी मरम्मत करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) भाप रेल इंजन भारतीय रेलों पर बेकार नहीं पड़े हैं किन्तु अनुसूचित अनुरक्षण सम्बन्धी मरम्मता धीन इंजनों के अलावा मौसमी और अस्थिर यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिसम्बर, 1975 में 314 भाप रेल इंजन अच्छी यांत्रिक अवस्था में जमा रखे गये थे।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के भाप रेल इंजनों का निवारणात्मक अनुसूचित अनुरक्षण और आवधिक ओवरहाल एक निर्धारित किलोमीटर दूरी/समय पर किया जाता है ताकि उन्हें अच्छी हालत में रखा

जा सके। यह कार्य रेलों के अपने मरम्मत कारखानों/शेडों में किया जाता है किन्तु अतिरिक्त सहायता के रूप में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना इस प्रयोजन के लिए रेलों को सहायता पहुंचाने हेतु भाप रेल इंजनो के मोशन पुर्जे पुन: बना रहा है। भाप इंजनों द्वारा जो तेल इस्तेमाल में लाया जाता है वह स्नेहन के लिए होता है और ट्रिप-राशन पर सख्त नियंत्रण लगा है जिससे आवश्यक निगरानी सुनिश्चित हो जाती है। डीजल तेल सुरक्षित रखने के लिए डीजल शंटरों का निर्माण कम कर दिया गया है और शंटिंग सेवाओं के लिए भाप रेल इंजनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल सुरक्षित रखने के लिए पावर एसेम्बलियों के टूटे-फूटे महत्वपूर्ण पुर्जों को बदलने से डीजल इंजनों की अवस्था सुधर गई है।

Renovation of Saharanpur Railway Station

*200. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the funds provided for the renovation of Saharanpur Railway Station; and

(b) the items on which these funds are proposed to be spent?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Bata Singh): (a) & (b) Sir, no funds specifically for renovation have been provided. However, an amount of Rs.50,000 has been spent on normal maintenance etc. during the current year.

गौहाटी तेल शोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि

*202. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गौहाटी तेल शोधक कारखाने की शोधन क्षमता में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में तेल की मांग पूरी करने में यह वृद्धि कहां तक सहायक होगी ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) गौहाटी रिफ़ाइनरीज जो कि 0.75 मिलियन टन प्रति वर्ष कच्चे तेल को तैयार करने के लिए निर्मित की गई है, निर्मित क्षमता से कुछ अधिक कार्य कर रही है। चालू वर्ष के दौरान (1975–76) रिफ़ाइनरी द्वारा 0.821 मि० टन कच्चे तेल के तैयार किये जाने की आशा है। इस सीमा तक यह वृद्धि पूर्व क्षेत्र में उत्पाद उपलब्धता को बढ़ायेगी।

विदेशी सहयोग में चल रही उर्वरक परियोजनायें

*204. **श्री टुना उराव** :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी-कितनी उर्वरक परियोजनाएं विदेशी सहयोग में चल रही हैं ;

(ख) प्रत्येक उर्वरक परियोजना में इन विदेशी सहयोग-कर्ताओं द्वारा कितना-कितना पूंजी निवेश किया हुआ है ; और

(ग) उनकी संस्थापित तथा प्रयुक्त क्षमता कितनी-कितनी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : अपेक्षित ब्यौरे देने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–10167/76]

जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियाँ

856. **श्री नारायणचन्द पराशर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलैण्डर वर्ष 1975 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में कम्पनी कानून के अधीन पंजीकृत की गई कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन राज्यों में वर्ष 1974 के लिए इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख). 1974 के वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े तथा कलैण्डर वर्ष 1975 के वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

राज्य	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या	
	1975	1974
जम्मू एवं कश्मीर	11	8
पंजाब	50	97
हरियाणा	21	33
हिमाचल प्रदेश	11	17

Produotion capacities of Refineries of Caltex and Assam Oil Company

857. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) the annual production capacity of the refineries of Caltex and Assam Oil Company;

(b) the capital investment position thereof; and

(c) the number of establishments thereof functioning throughout the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Ziaur Rahman Ansari): The information is given below :

	Caltex Oil Refining (India)Ltd.	Assam Oil Company Ltd.
(a) (i) Licenced capacity	0·675 million tonnes per annum	0·50 million tonnes per annum
(ii) Production during 1975	1·55 million tonnes	0·50 million tonnes
(b) Share capital	Rs. 4·50 crores	Rs. 7·48 crores (approximately)
(c) Number of establishments	The Products are marketed by M/s Caltex (India) Ltd. through 5 terminals, 37 Depot companies, 15 depot contractors, 19 rail and road Distributor Tankages, 2 Aviation Depots, 1201 Service Stations, 479 kerosene Distributors and 426 LDO Distributors.	Apart from the main office at digboi, a regional office, two commercial representative offices and one main terminal office, Assam Oil Co. Ltd. have 12 Depots, 164 retail pump outlets and 257 kerosene agencies.

पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रेता लाइसेंस देना

858. **श्री एस० एम० सिद्दैया :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 तथा 1975 में कितने व्यक्तियों को पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रेता लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). **पैट्रोलियम** उत्पादों के लिए वर्ष 1974 और 1975 के दौरान सरकारी क्षेत्र वाली तेल कम्पनियों द्वारा प्रदान किये गये डीलरशिप की संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये डीलरशिप की संख्या नीचे दी गई है :

कम्पनी का नाम	प्रदान किये गये डीलरशिप की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई डीलरशिप	
		डीलरशिप की संख्या	लाभ-भोगियों की संख्या
आई ओ सी	590	45	50
आई बी पी .	164	2	2
एच पी सी . . .	120	—	—

गेहूं से भरा लापता माल डिब्बा

*859. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से कर्नाटक भेजे गये माल-डिब्बे का, जिसमें गेहूं की 200 बोरियां थीं, डेढ़ वर्ष बाद भी पता नहीं चला; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). बुकिंग सम्बन्धी ब्यौरा, जैसे कि माल भेजने वाले और गंतव्य स्टेशन का नाम, बुकिंग की तारीख, माल-डिब्बा नं० आदि, न दिये जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आशय, गेहूं से भरे हुए उस माल-डिब्बे से है जो उत्तर रेलवे के गुरहरसहाय स्टेशन से कृष्णराजपुरम् स्टेशन को भारतीय खाद्य निगम, बैंगलूर के नाम 9–8–74 को बुक किया गया था। यह परेषण विशेष दक्षिण-मध्य रेलवे के शोलापुर मण्डल में स्थित कृष्णा स्टेशन पर 26–8–74 को गलती से पहुंच गया था, अतः 6–9–74 को यह परेषण वापस शोलापुर भेज दिया गया था जहां अंत में इसे महाराष्ट्र नागरिक पूर्ति निगम के प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। उन्होंने इस बीच कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक पूर्ति निगम को भी जिसने कि अपना दावा पेश किया था, तदनुसार सूचित कर दिया गया था और उसके दावे को निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे के निर्माण कार्य और मिट्टी के लिए ठेकेदार

860. **श्री वसंत साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के जोन-वार निर्माण कार्य और मिट्टी के लिये पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या कितनी है तथा उन्होंने 1974–75 में अनुमानतः कितने श्रमिकों को रोजगार दिया; और

(ख) क्या इन ठेकेदारों तथा इनके द्वारा भर्ती किये गये श्रमिकों की संख्या में गत पांच वर्षों में काफी वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर पंजीकृत 2788 अनुमोदित ठेकेदार हैं और उनका रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	रेलवे	पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या
1	मध्य	444
2	पूर्व	335
3	उत्तर	447
4	पूर्वोत्तर	392
5	पूर्वोत्तर सीमा	356
6	दक्षिण	220
7	दक्षिण-मध्य	214
8	दक्षिण-पूर्व	38
9	पश्चिम	342

ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गये श्रमिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन के काम की माला के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। 1974–75 में काम पर रखे गये श्रमिकों का यथार्थ रिकार्ड रेलों के पास नहीं है।

(ख) जी नहीं।

अल्पसंख्यक समुदायों के वैयक्तिक कानूनों में परिवर्तन.

861. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को शरीयत तथा अल्पसंख्यक समुदायों के वैयक्तिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिये संबंधित समुदायों से कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद): शरीयत और अल्पसंख्यक समुदायों की अन्य वैयक्तिक विधियों में कतिपय परिवर्तन करने के लिए सरकार को कुछ व्यक्तियों और संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

पूर्वी तथा उत्तरी राज्यों में नई लाइनों का नर्माण

862. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा उत्तर पूर्व राज्यों में राज्यवार, निर्माणाधीन नई लाइनों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक लाइन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) प्रत्येक लाइन के पूरा होने का निर्धारित समय क्या-क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में निर्माणाधीन नयी रेलवे लाइनों का ब्यौरा

निर्माण का नाम	लम्बाई (कि० मी० में)	लागत (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृति की तारीख	पूरा होने की लक्ष तारीख
1	2	3	4	5
1. झंझारपुर–लौकहा बाजार मी० ला० (बिहार)	42.30	2.58	25–6–74	जून, 76 (अनन्तिम)

1	2	3	4	5
2. सरायगढ़–प्रतापगंज मी०ला० (बिहार)	23.0	1.61	29-5-73	जून, 74 में यातायात के लिए खोल दी गयी है
3. प्रतापगंज–फारबिसगंज (बिहार)	41.0	3.37	22–10–73	अक्तूबर, 75 में यातायात के लिए खोल दी गयी है
4. बगहा–छितौनी (उ० प्र०) (बिहार)	28.41	6.74 (बाढ़ से बचाव के काम की लागत को छोड़कर)	9–11–73	1–4–79
5. हसनपुर–सकरी (बिहार)	74.90	5.96	प्राक्कलन पर विचार हो रहा है	अभी तक तारीख निश्चित नहीं हुयी है।
6. हवड़ा–आम्ता ब०ला० बरगछिया–चम्पाडांगा शाखा लाइन के साथ (प० बंगाल)	73.53	10.72	6–12–75	1–4–79
7. हवड़ा–शियाखला ब० ला० (प० बंगाल)	17.1	3.5	प्राक्कलन पर विचार हो रहा है	1–4–78
8. हल्दिया रेल सम्पर्क का शेष भाग (प० बंगाल)	17.1	13.30 (सारी परियोजना के लिए)	31–1–63	जून, 1976
9. बांसबानी–जाखापुरा (उड़ीसा)	176.00	39.00	अंतिम स्थान निर्धारण के सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है।	

औषधियों के मूल्य तथा उत्पादन संबंधी नीति

863. **श्री रानेन सेन :**
श्रीमती रोजा विद्याधर देश पाँडे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्य तथा उत्पादन सम्बन्धी नीति की अभी तक घोषणा नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादक संगठन, जो भारत की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करता है, औषधियों के उत्पादन को बढ़ा कर पांचवीं योजना में रखे गये लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से अब राहत की मांग कर रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध और भेषज उद्योग समिति ने औषध निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें की हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने सम्बन्धी कठिनाइयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच की गई है। ऐसा पाया गया है कि इन सिफारिशों को स्वीकार करने से कुछ उत्पादों के मूल्यों में कमी करने में मदद मिलेगी किन्तु अनेक आवश्यक औषधों के मूल्य में वृद्धि होगी। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रश्न पर सतर्कतापूर्वक विचार कर रही है।

(ग) मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में भारत के भेषज उत्पादक संगठन, भारतीय औषध उत्पादक संगठन, अखिल भारतीय उत्पादक संगठन ने सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं। नई नीति को अन्तिम रूप देने से पूर्व उन अभ्यावेदनों पर विचार किया जायेगा।

वर्ष 1975–76 के लिए कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए नियतन

864. **श्री ए० के० किस्कू** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये वर्ष 1975–76 के लिये 8.50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य किया गया है और कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना कार्य पूरा किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) 1975-76 के लिए ट्यूब रेल परियोजना कलकत्ता के लिए 8.4 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गयी है।

(ख) दिसम्बर, 1975 तक लगभग 8 प्रतिशत परियोजना कार्य किया जा चुका है। चार मुख्य ठेका खण्डों, संख्या 1, 2, 11 और 12 पर कार्य चल रहा है और अन्य दो खण्डों के लिए टेण्डरों पर विचार हो रहा है।

नवम्बर, 1975 तक इस परियोजना पर अनुमानत: 14.01 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) जिन खण्डों पर ठेके दिये गये हैं, उन पर 1975–76 के दौरान कार्य समाप्त नहीं होगा।

कांडला पत्तन तथा गांधीधाम के लिए नया ब्रॉड गेज लाइन कनेक्शन

865. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ, गुजरात में स्थित कांडला पत्तन तथा गांधीधाम दिल्ली के साथ एक सीधी ब्रॉड गेज रेलगाड़ी से नहीं जोड़े गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी एक सीधी नई ब्राड गेज लाइन निर्माण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या बम्बई और गांधीधाम (कच्छ) बरास्ता अहमदाबाद की वर्तमान ब्रॉड गेज लाइन का भुज, कच्छ तक विस्तार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) कांडला पोर्ट और गांधीधाम, बड़ी लाइन द्वारा दिल्ली से पहले से ही सम्बद्ध है, यद्यपि इन स्टेशनों और दिल्ली के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है क्योंकि चक्करदार बड़ी लाइन के मार्ग से गाड़ी चलाना उचित नहीं समझा जाता। अजमेर, पालनपुर और डीसा के रास्ते दिल्ली, कांडला और गांधीधाम के बीच मीटर लाइन वाला अपेक्षाकृत छोटा रेल मार्ग भी मौजूद है, दिल्ली-पालनपुर-अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन, जिसमें कुछ खण्डों पर समानान्तर बड़ी लाइनें बिछानी होंगी, विचाराधीन है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद आमान-परिवर्तन सम्बन्धी इस परियोजना पर निर्णय किया जायेगा, बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

(घ) गांधीधाम-भुज मीटर लाइन खण्ड के बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन के लिए इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण हो चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इस जांच के पूरा हो जाने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा। बशर्ते पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

एर्नाकुलम-क्विलोन लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

866. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा चुका है ;

(ख) क्विलोन-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के कब तक बदले जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस नई रेल लाइन से होते हुए मद्रास, दिल्ली, मंगलौर और अन्य स्थानों के लिए कब तक एक्सप्रैस रेलगाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1976 के मध्य तक।

(ग) और (घ): आजकल कोचीन से आरम्भ/वहां पर समाप्त होने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों को कोच्चिन से और आगे बढ़ाने के प्रश्न पर कोल्लम तिरुवनन्तपुरम बड़ी लाइन खण्ड को यात्री यातायात के लिए खोले जाने के पश्चात् ही यथोचित रूप से विचार किया जायेगा।

धनबाद में कटरी पम्प हाउस से विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी

867. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनवाद पूर्व रेलवे में कटरी पम्प हाउस से कई लाख रुपये के मूल्य वाले विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख): 26/27-1-75 की रात को सम्पूर्ण विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं, बल्कि उसके कुछ अलौह पुर्जे, जिनका मूल्य लगभग 10,000 रुपये था, चुराये जाने की रिपोर्ट मिली थी। यह ट्रांसफार्मर तीन-चार माह से काम में नहीं आ रहा था।

कटरास पुलिस चौकी ने 27-1-75 को यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन दर्ज किया और खोज न होने के कारण उसे बन्द कर दिया गया।

ड्यूटी पर तैनात चौकीदार, पम्प इंजन ड्राइवर और क्लीनर को निलम्बित कर दिया गया। विभागीय जांच पड़ताल की जा रही है।

Conversion of Sawai Madhopur-Jaipur line into Broad Gauge

†868. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to convert Sawai Madhopur-Jaipur metre gauge line into a broad gauge line ; and

(b) if so, by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and(b). Conversion of this section to broad gauge was considered while carrying out surveys for Delhi-Ahmedabad M.G.to B.G. conversion. Survey reports for the conversion of Delhi-Ahmedabad including Sawai Madhopur- Jaipur M.G. sections into B.G. are at present under examination. A decision will be taken after this examination is completed.

आपात-स्थिति के दौरान माल डिब्बों को तोड़कर लूटने की घटनायें

869. **श्री समर गुह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात-स्थिति की अवधि के दौरान माल डिब्बों को तोड़कर उन्हें लूटे जाने की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) पिछले वर्ष ऐसे अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) आपात-स्थिति के दौरान ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) 1242 मामले ।

(ख) 1741 मामले ।

(ग) रेलों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित निरोधक उपाय किये गये हैं :—

1. लोहा, सीमेंट, खाद्यान्न, चीनी आदि जैसी मूल्यवान वस्तुओं की ब्लाक गाड़ियों से ढुलाई करने वाली अधिकांश माल गाड़ियों के साथ, विशेष रूप से रात के समय, रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग रक्षक चलते हैं ।
2. सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस के साथ निकट समन्वय और कारगर सम्पर्क बनाये रखा जाता है ।
3. रेलों पर होने वाले अपराधों और उनसे सम्बन्धित बातों पर विचार करने के लिए राज्य स्तर और प्रारम्भिक स्तर की समितियों की नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं ।
4. अपराध सम्बन्धी आसूचना एकत्र करने के लिए मण्डलों एवं मुख्यालयों की अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ।
5. ऐसे सभी भेद्य यार्डों और काले क्षेत्रों पर, जहां आसानी से अपराध हो सकते हैं, पहरा बैठाया जाता है ।
6 माल डिब्बों सामानयानों पर ई० पी० लाक, पैडलाक, रिवट, लगाने, बोल्ट लगाने आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल पर निगाह रखी जाती है ।
7. चुरायी गयी सम्पत्ति लेने वाले ज्ञात व्यक्तियों और आदि अपराधियों को राज्य पुलिस प्राधिकारियों की मार्फत आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अधीन हिरासत में लेने के लिए कार्रवाई की गयी है ।

फल तथा चाय स्टाल के ठेके आँवटित करने के बारे में नीति का पुनरीक्षण

870. **श्री धामनकर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से फल-चाय स्टाल के ठेकेदार ऐसे हैं जो स्टाल एक से अधिक स्थान पर चलाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार ऐसे स्टालो के आवंटन के मामले में नीति में पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।
(ख) जो नहीं।

Allotment of Fertilizers Agencies to Scheduled Castes

871. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) State-wise number of fertilizers agencies allotted to persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1973-74 and 1974-75, separately;

(b) State wise number of agencies allotted to graduates not belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) the conditions for allotting the agencies; and

(d) whether any cases have come to notice in which money is invested by persons other than those in whose names agencies are allotted?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi):

(a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विदेशी तेल कम्पनियों की आस्तियाँ, उत्पादन और उनके द्वारा विदेशों में भेजा गया धन

872. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बर्मा शैल, काल्टैक्स और असम आयल में से प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी की कुल आस्तियों, उत्पादन और लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय उक्त कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी कितनी है और इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी में इस समग्र राशि में भारतीय राष्ट्रिकों का अंश कितना है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक शीर्ष अर्थात् लाभांश, लाभ, रायल्टी, मुख्यालय व्यय और ब्याज के अन्तर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि विदेशों में भेजी गई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना नीचे दी है :

(रु० करोड़)

	1972			1973			1974		
	बर्मा शैल	कालटैक्स	असम आयल	बर्मा शैल	कालटैक्स	असम आयल	बर्मा शैल	कालटैक्स	असम आयल
(i) कुल आस्तियां (शुद्ध आस्तियां और चालू आस्तियां चालू देयताओं रहित)	55.00	17.29	12.79	57.78	19.10	14.55	60.27	53.23	18.50
(ii) कुल बिक्री .	345.94	120.20	54.78	384.58	126.67	55.85	488.54	195.24	74.76
(iii) लाभ/हानि	(+)2.21	(+)0.05	(+)0.03	(+)4.53	(+)1.82	(+)0.05	(+)1.15	(−)1.15	(+)0.05

(iv) विद्यमान प्रदत्त पूंजी :

बर्मा शैल . रु० 32.75 करोड़

काल टैक्स . रु० 9.23 करोड़

} इन कम्पनियों में किसी भारतीय राष्ट्रिक का शेयर नहीं है ।

असम आयल कं० पौंड 4 मिलियन

(ग) इस वर्ष के दौरान बर्मा शैल, कालटैक्स और असम आयल कम्पनी द्वारा प्रेषित कुल वास्तविक रकम नीचे दी गई है :—

(रुपये लाख में)

	1972			1973			1974			1975		
	बर्मा शैल	कालटैक्स	एग्रोसी	बर्मा शैल	कालटैक्स	एग्रोसी	बर्मा शैल	कालटैक्स	एग्रोसी	बर्मा शैल	कालटैक्स	एग्रोसी
(i) लाभांश	108.3	138.45	—	47.1	—	—	—	113.85	27.58	53.9	11.46	27.58
(ii) लाभ	6.4	—	—	(—)9.0	—	—	130.9	—	—	335.3	—	—

टिप्पणी 1 :—1974 और 1975 में असम आयल कम्पनी द्वारा उपरिलिखित 27.58 लाख रुपये के नकद का प्रेषण वर्ष 1964 के लिये आयल इण्डिया के लाभांशों से सम्बद्ध है जो कि बर्मा आयल कम्पनी के कारण हुआ। लेकिन असम आयल कम्पनी को रिजर्व बैंक आफ़ इण्डिया की अनुमति से युनाइटेड किंगडम के लिये अन्तिम प्रेषण के वास्ते दिया गया। असम आयल कम्पनी के कार्यों से हुये लाभांश या लाभ की कोई रकम निम्न वर्षों के दौरान नहीं भेजी गई।

टिप्पणी 2 :—निम्नलिखित वर्षों के दौरान बर्मा शैल, कालटैक्स असम आयल कम्पनी ने तकनीकी सेवा शुल्क और प्रधान कार्यालय व्यय की किसी रकम का प्रेषण नहीं किया।

टिप्पणी 3 :—बर्मा शैल और कालटैक्स ने ब्याज की रकम का कोई प्रेषण नहीं किया। असम आयल कम्पनी ने स्काटलैण्ड लन्दन के बैंक के ऋण पर ब्याज की निम्नलिखित रकमों को प्रेषित किया :—

1973	.	. पौंड 6521
1974	.	पौंड 4064
1975	.	. पौंड 1398

टिप्पणी 4 :—9 लाख रुपये के घाटे के आंकड़े, जिनको 1973 में बर्मा शैल के लाभ के अन्तर्गत आवक प्रेषण के रूप में दिखाया गया है, वह राशि है जिसको कच्चे तेल की सप्लाई, भाड़ा आदि के अन्तर्गत विनिमय नियंत्रण में समायोजित किया गया है।

Fertilizer Plant at Korba, Madhya Pradesh

873. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) when the fertilizer plant being set up at Korba (Madhya Pradesh) will start production;

(b) the target date originally fixed for installation of this plant and production therein; and

(c) the reasons for the delay?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi): (a) to (c). Due to the constraints on resources, work on this project has been slowed down and a revised schedule for project completion has not yet been determined.

Return of Passenger Coaches, Wagons and Engines by Bangladesh

874. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of passenger coaches, wagons and engines which had been given to Bangladesh by India but which have not been returned; and

(b) the action taken by Government so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Nil.

(b) Does not arise.

Import of Drugs and Production of Basic Drugs in the country

875. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether basic drugs worth about Rs. 30 crores are being imported at present;

(b) measures taken by Government to augment the production capacities of drug units in order to bring down this import;

(c) the names and annual production of basic drugs produced in the country at present as also country's annual requirement thereof; and

(d) their requirement by the end of Fifth Plan and the measures proposed to meet it?

The Minister of Chemicals and Fetilizers (Shri P.C. Sethi): (a) The value of drugs and drug intermediates imported during 1974-75 was of the order of Rs 45·60 crores.

(b) to (d). Data relating to production of important basic drugs during 1974 and 1975 and their estimated demand by the end of Fifth Five Year Plan is given in the Annexure.

Government is taking a number of steps to increase the manufacture of basic drugs in the country. A provision of Rs. 70 crores has been made in the Fifth Five Year Plan for augmenting production of synthetic drugs, antibiotics and formulations by IDPL and HAL. Government have approved the expansion of the synthetic drugs plant of IDPL at an investment of Rs. 21·79 crores which would increase the production capacity from 1988 tonnes to 3386 tonnes. IDPL also propose to establish a Nicotinamide plant in Bihar at a capital outlay of Rs. 8·58 crores and expand the capacity of the Antibiotics plant at an investment of Rs 15·69 crores. Similarly Hindustan Antibiotics Ltd. also propose to expand the capacity of their Penicillin and Streptomycin plants involving capital outlay of Rs. 2·92 crores and Rs. 2·91 crores respectively.

In the private sector also, a number of proposals have been approved during 1975 for manufacture of basic drugs and expansion in existing capacities for manufacture of such drugs. In the case of drugs units with majority foreign equity participation generally no approval of drug formulation unconnected with basic manufacture of the bulk drug involved is being granted. Recently Government has announced a scheme under which drug firms can expand their capacities for basic manufacture if this activity does not involve import of raw materials and capital goods.

For the guidance of enterpreneurs data about gaps in the estimated demand and approved capacities is published annually in the publication 'Guidelines for Industries' in which all other useful information is also included.

Statement

Name of the bulk	Production 1974		1975		5th Plan Target.	
Antibiotics						
Penicillin	254	mmu	255	mmu	780	mmu
Streptomycin	187	tonnes	185	tonnes	825	tonnes
Tetracyclines	117	tonnes	200	tonnes	308	tonnes
Anti-T.B.Drugs						
INH	95	,,	115	,,	265	,,
Pas & its salts	464	,,	600	,,	1000	,,
Anti pyretics Analgesics						
Aspirin	800	,,	1000		1900	
Paracetamol	123	,,	120		400	
Analgin	179	,,	202		400	
Anti diabetic Drugs						
Insulin	657	mu	650		3000	
Tolbutamide	73	tonnes	25		75	
Chloropropamide	8	,,	6		40	
Anti Dysentery Drugs						
Halogenated Oxyquinolines	167	,,	150		450	

Name of the bulk	Production		5th Plan Target
	1974	1975	
Anti leprotic Drugs			
DDS and its derivatives	5 tonnes	9	8
Anti Malarials			
Chloroquin and Amodiaquin	37 ,,	30	205
Vitamins			
Vitamin A .	46 mmu	28	80
Vitamin B^1 .	19 tonnes	25	100
Vitamin B^2 .	8 ,,	5	24
Vitamin B^{12}	152 Kgs.	180	300
Vitamin C	220 tonnes	325	900

Prevention of Child Marriage Act

*876. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether child marriage is not a cognisable offence at present under the Prevention of Child Marriage Act; and

(b) if so, whether Government propose to make it a cognisable offence in order to check the tendency of child marriage?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. V.A. Seyid Muhammad): (a) Offences under the Child Marriage Restraint Act, 1929, are not cognisable except in the State of Gujarat where by a local amendment the offences have been made cognisable.

(b) The matter is being examined in the light of certain recommendations made in this behalf by the Committee on the Status of Women in India.

Allotment of Petrol Pumps and Kerosene Oil Agencies

877. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the **Minister of Petroleum** be pleased to state :

(a) whether Government are following the policy of giving agencies of petrol pumps, kerosene oil to the widows and dependants of army jawans and to engineering graduates;

(b) if so, the State-wise number of such persons given licences during 1975;

(c) whether some persons have been allotted more than one agency; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a): Yes, Sir. These categories are covered under the Social Objectives Scheme followed by IOC for giving agencies of various petroleun products.

(b) Retail outlets and kerosene oil dealerships commissioned by IOC under both the schemes during 1975 were as under:

Serial No.	Name of State	Defence Scheme		Unemployed Graduate Scheme	
		RO	SKO/ LDO	RO	SKO/ LDO
1	Haryana	1	2	..	
2	Uttar Pradesh	1	14		..
3	Union Territory (Delhi)	1	..	..	
4	Union Territory (Chandigarh)	..	1	..	..
5	Rajasthan	2	2		..
6	Punjab		3	..	..
7	Jammu & Kashmir		3	..	..
8	Himachal Pradesh	..	2	..	
9	Manipur	1	3	..	..
10	West Bengal	2	3	1	..
11	Orissa		4	1	
12	Madhya Pradesh		5	..	
13	Assam	..	3		
14	Bihar		4		..
15	Gujarat	2	1		..
16	Maharashtra	1	1	..	..
17	Tamil Nadu	1	19		
18	Kerala	1	4	..	
19	Andhra Pradesh	..	9	1	
20	Karnataka	1	3	..	
	TOTAL	14	86	3	..

(c) & (d). Two dealers operating 'B' site Retail Outlets each (Converted from Esso) were given another such outlet each, because of the old commitments made to these parties.

गुजरात तेलशोधक कारखाने में पेट्रो-प्रोटीन संयंत्र

878. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, अंशोधित तेल से प्रोटीन निकालने वाले इने-गिने देशों की सूची में शामिल हो गया है ; और

(ख) क्या गुजरात में स्थापित पेट्रोलियम संस्थान का एक पेट्रो-प्रोटीन समेकित संयंत्र पेट्रो-प्रोटीन उत्पादों के उत्पादन करने हेतु 2 मई, 1975 से चालू हो गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउरर्हमान अंसारी) : (क) और (ख) गुजरात शोधनशाला में इंडियन इन्सटीट्यूट आफ पेट्रोलियम द्वारा पेट्रो-प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक अग्र-संयंत्र स्थापित किया गया है और वह 2 मई, 1975 को चालू हो चुका है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का 'ड्रिलिंग रिग्स' की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

879. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देश में गहरी ड्रिलिंग करने वाली 'रिग्स' की संख्या बढ़ा रहा है ; और

(ख) इनमें कितनी 'रिग्स' का उपयोग तट-दूर छिद्रण के लिये किया जाना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरर्हमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) अपने अपतटीय कार्य के लिये ओ० एन० जी० सी० ने तीन रिंग लगा रखे हैं जिनमें से एक रिंग आयोग का अपना है और अन्य दो रिंग किराये पर लिये हुये हैं । ओ.० एन० जी० सी० में एक और रिंग किराये पर लिया है जिसके फरवरी, 1976 में भारतीय समुद्र में पहुंचने की आशा है ।

उर्वरक उत्पादन के लिए संयुक्त उपक्रमों हेतु पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के साथ समझौते

880. **श्री पी० नरसिम्हाँ रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के साथ उर्वरक उत्पादन के लिये उत्पादन-बटाई के आधार पर संयुक्त उपक्रम स्थापना के सिलसिले में समझौते किये गये हैं/किये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जी नहीं । तथापि आबू धाबी में संयुक्त उद्यम वाला एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बंगाल पाटरीज़

881. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने बंगाल पाटरीज़ को बिक्री की नई शर्तें बनाने का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण तथा तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) अगस्त, 1972 में रजिस्ट्रार, निबंधनकारी ब्यापार पर अनुबन्ध द्वारा एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी ब्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (3) के अन्तर्गत दिये गये एक आवेदन पत्र पर, आयोग ने मैसर्स बंगाल पाटरीज़ लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादों के वितरण एवं बिक्री के लिये मै० अलाईड डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध के नाते, इस कम्पनी के कुछ निबंधनकारी ब्यापार प्रथाओं में निरत रहने के आरोपों की जांच की थी । आवश्यक जांच के पश्चात्, आयोग को प्रतीत हुआ कि रजिस्ट्रार द्वारा परिवादित प्रथायें जनहित के विरुद्ध थीं । अत: उसने साथ-साथ कम्पनी को इन प्रथाओं में निरत रहने से नियन्त्रित तथा निषेध करते हुये 15 दिसम्बर, 1975 को एक आदेश पारित किया, साथ ही कम्पनी को, इस आदेश की तारीख से 30 दिन के अन्दर बिना किसी भेदभाव के सभी खरीददारों के साथ अपने उत्पादों की बिक्री के लिये नवीन प्रतिबन्ध तथा निबंधन सूत्रित करने व इसी अवधि के अन्दर शपथ पत्र पर उसकी एक प्रति आयोग के भेजने के निर्देश भी दिये । आयोग के इस बाबत आदेश के सम्बद्ध उद्धरण देते हुये एक विवरण पत्र प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-10/168/76] ।

New Benches of High Courts

882. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether new benches of some of the High Courts have been opened in many places during the last three years ; and

(b) if so, the particulars of the places where these new benches have been opened ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) :

(a) & (b). A Circuit Court at Shillong under section 31(3) of the North Eastern Areas Reorganisation Act, 1971 has been established under the Gauhati High Court.

Quarters for scavenging staff of Northern and Southern Railways

883. **Shri Hari Singh** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of Class IV scavenging staff working in Northern and Southern Railways;

(b) the number of those, among them who have quarters allotted to them by the Railways ; and

(c) the time by which the remaining scavenging staff there will be allotted quarters ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) t Information regarding Southern Railways is as under :—

(a) 4795

(b) 1827

(c) The scavenging staff are classified as "essential" for the purpose of allotment of quarters. Quarters. to essential staff, including scavenging staff, are allotted according to table availability.

information relating to Northern Railway is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Recruitment in Ministry on the basis of Proficiency in sports

†884. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether direct recruitment have been made against the various posts in his Ministry on the basis of proficiency in sports, games and atheletics in 1974 and 1975 ; and

(b) if so, the number there of and the number of the scheduled caste candidates appointed directly at different places on the basis of proficiency in the above mentioned fields ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) 427 sportsmen were recruitted during the period on the Railways other than Eastern, Southern and South Central Railways. Of these 5 belonged to Scheduled Castes. Information from Eastern, Southern and South Central Railways is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रेल कर्मचारियों की बहाली

885. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के सम्बन्ध में नौकरी से बर्खास्त किये गये रेल कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी न्यायिक निर्णयों या मंत्रालय के पुनर्विचार के परिणामस्वरूप बहाल किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान 16898 रेल कर्मचारी बर्खास्त किये गये । सेवा-मुक्त किये गये थे जिनमें से 16057 कर्मचारी सेवा में वापस ले लिये गये हैं ।

उच्चतम न्यायालय में रिक्त पद

886. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) ये स्थान कब रिक्त हुये और इन्हें कब तक भर लिये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) दो ।

(ख) एक स्थान 17-10-75 को और दूसरा 3-1-76 को रिक्त हुआ । इनमें से एक रिक्त पद के कुछ दिनों में भरे जाने की सम्भावना है ।

Theft of iron from wagons between Saharanpur and Pilkhani stations

†887. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether anti-social elements take away iron from the open wagons between Saharanpur and Pilkhani stations on Northern Railway ; and

(b) if so, the arrangements made by Government to check the incidents of theft ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) However, to prevent pilferage of Consignments, besides escorting of important goods trains, armed guards are also deployed to guard vulnerable places between Saharanpur and Pilkhani Railway Stations.

दूसरे दर्जे के डिब्बों में सफाई के दोषपूर्ण उपकरणों के बारे में शिकायतें

888. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारतीय रेलवे के दूसरे दर्जे के डिब्बों में सफाई उपकरण आदि बहुत दोषपूर्ण हैं ; और

(ख) उनकी स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). दूसरे दर्जे के डिब्बों में सफाई उपकरणों आम तौर पर सन्तोषजनक है । तथापि पूरे प्रयास करने के बावजूद भी कभी-कभी कोई खराबी हो ही जाती है जिसके मुख्य कारण बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ उपस्कर की चोरी या कभी-कभी उसमें खराबी हो जाना, सामान की बिलम्ब से सप्लाई और उनके रख-रखाव तथा अनुरक्षण में मानवीय त्रुटियां होती हैं ।

सवारी डिब्बों की सफाई और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए और प्रयास किये जा रहे हैं । कुल मिलाकर स्थिति में काफी सुधार हुआ है । सभी सेवारत सवारी डिब्बों का आवधिक ओवरहाल करने के अलावा लगभग हर यात्रा के शुरू में और अन्त में खराबी या त्रुटि यदि कोई हो, को दूर किया जाता है और सफाई की जाती है । सभी रेलों पर सवारी डिब्बों की स्थिति की देखभाल करने की व्यवस्था मोजूद है ।

भारतीय रेलवे के रेल मार्गों का विद्युतीकरण

889. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में अब तक कितने मील लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) पांचवीं योजनावधि में रेल मार्गों के विद्युतीकरण के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ग) उस पर कितने व्यय का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) 4594 मार्ग किलोमीटर।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निष्पादन के लिए निम्नलिखित खण्डों के बिजलीकरण की मंजूरी दी गयी है :

खण्ड	मार्ग किलोमीटर
1. टूंडला–दिल्ली . . .	259
2. वात्तेरु–किरान्दुल . . .	471
3. मद्रास–विजयवाडा . . .	433
4. मद्रास–तिरुवल्लूर . . .	42

(ग) उपर्युक्त बिजलीकरण योजनाओं पर 139.05 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

रेलवे के लिए तापीय बिजली घर

890. **श्री टुना उराँव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में रेलवे के लिए तापीय बिजली घर की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ये तापीय संयंत्र कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से 2 X 110 मेगावाट क्षमता वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन एक पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट एक बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में---बनाने का विनिश्चय किया है। ये रेलवे कर्षण की जरूरतों और अन्य अनिवार्य जरूरतों को विश्वसनीय एवं सुनिश्चित ढंग से दीर्घकालीन आधार पर पूरा करने के लिए सम्बन्धित राज्य के ग्रिडी से अन्तर्सम्बद्ध से कार्य करेंगे।

(ख) इन पावर स्टेशनों के लिए स्थलों का अध्ययन कर लिया गया है और इनकी व्यावहारिकता रिपोर्टें बनकर योजना आयोग, ऊर्जा मंत्रालय और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गयी हैं। इन व्यावहारिकता रिपोर्टों की केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा छानबीन की जा रही है।

(ग) व्यावहारिकता रिपोर्ट केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा पास कर लिये जाने एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के बाद और निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निधि आबंटित हो जाने के बाद रेल मंत्रालय इन पावर स्टेशनों को बनाने का कार्य प्रारम्भ करेगा।

पश्चिम बंगाल में हल्दिया में उर्वरक परियोजना

891. श्री टुना उराँव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में एक उर्वरक परियोजना 1972 में शुरू की गई थी; और

(ख) उक्त परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) हल्दिया में उर्वरक प्रयोजना का कार्यान्वयन कार्य 1972 में प्रारम्भ किया गया था। इस प्रायोजना के कार्यान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ है; श्रमिक समस्याओं तथा कुछ उपकरणों के डिलीवरी में विलम्ब होने तथा खड्डे भरने के कार्य की धीमी गति के कारण ऐसा हुआ उपकरणों के समस्त मदों की डिलीवरी एवम केब्रिकेशन आदि सहित प्रायोजना प्रगति की सतर्कता पूर्वक जांच की जा रही है तथा 1978 के के प्रथम त्रैमासिक में प्रायोजना के पूर्ण हो जाने की आशा है।

जौनपुर रेलवे स्टेशन की इमारत

892. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे, लखनऊ प्रभाग) की इमारत 100 वर्ष से अधिक पुरानी है;

(ख) क्या इमारत में आई दरारों के कारण सारी इमारत असुरक्षित तथा खतरनाक हो गई है; और

(ग) क्या सरकार का स्टेशन की इमारत का पुनः निर्माण करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जौनपुर रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण लगभग 70 वर्ष पूर्व हुआ था। इमारत में कोई दरार नहीं है तथा इसकी बनावट सुरक्षित है।

(ग) जी नहीं।

हाल्ट स्टेशनों को पूर्ण स्तर के स्टेशनों में बदलना

893. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हाल्ट स्टेशनों की आय में वृद्धि होने के साथ उन्हें श्रमिक रूप से पूर्ण स्तर के स्टेशनों में बदलने की नीति अपनाई है; और

(ख) क्या उत्तर रेलवे के लखनऊ प्रभाग में फैजाबाद तथा वाराणसी छावनी स्टेशनों के बीच पड़ने वाले मनीकलां तथा पिन्डारा हाल्ट स्टेशनों का दर्जा बढ़ाये जाने की अपेक्षा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जहां-कहीं औचित्य होता है, हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशनों में बदलने की सम्भाव्यता पर विचार किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

रेलवे सेफ्टी वर्क्स फंड से बिहारियों को धन का आवंटन

894. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के रेलवे सेफ्टी वर्क्स फंड से बिहार राज्य को 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कितना धन आवंटित किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को आवंटित ऐसा कोई धन व्यपगत हो गया है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राज्य में कितना धन अप्रयुक्त रह गया है; और

(घ) क्या इस धन का प्रयोग जन साधारण की सुरक्षा हेतु सड़कों के ऊपर पुलों के निर्माण के लिए किया जा सकता था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 23 लाख रुपये (लगभग)।

(ख) जी नहीं।

(ग) 127 लाख रुपये (लगभग)।

(घ) जी हां, आवश्यक निर्माण कार्यों के बजट में शामिल कर लिये जाने के बाद।

दुर्घटना स्थलों पर पड़ी मालगाड़ियों की बोगियाँ

895. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ियों की बोगियों को मार्ग साफ किये जाने के पश्चात् भी दुर्घटना-स्थलों पर वर्षों तक पड़े रहने देने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेल अधिकारियों द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दुर्घटनाग्रस्त माल डिब्बों का बचाव-कार्य जितनी जल्दी व्यावहारिक होता है, किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में परिचालनिक कठिनाइयों और दुर्गम भूमि के कारण देर हो जाती है। किसी-किसी मामले में पहुंच-मार्ग आदि न होने के कारण भी डिब्बों को काटना तथा कतरन को हटाना अलाभकर होता है।

(ख) जी हां। स्थिति पर निरंतर निगाह रखी जाती है।

पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों को समाप्त किया जाना

896. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी अधिकृत व्यापारियों की संख्या क्या है जिनकी वर्तमान आपात स्थिति के दौरान प्रत्येक राज्य में पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल और घरेलू उपयोग के लिये गैस की एजेंसियां समाप्त की गई हैं; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी) : (क) वर्तमान आपात स्थिति के पश्चात् सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की समाप्त की गई एजेन्सियों की संख्या राज्यवार नीचे दी गई है

क्रमांक	राज्य का नाम	व्यापारियों की संख्या
	मिट्टी का तेल/हल्का डीजल तेल के डीलरशिप	
1.	गुजरात	1
2.	महाराष्ट्र	2
3.	आन्ध्र प्रदेश	1
4.	कर्नाटका	1
5.	पश्चिम बंगाल	2
6.	बिहार	4
7.	तमिल नाडु	2
	फुटकर कम्पों के डीलरशिप	
1.	गुजरात	3
2.	महाराष्ट्र	2
3.	पश्चिम बंगाल	1
4.	बिहार	1
5.	पंजाब	1
6.	उड़ीसा	1
	इंडेन वितरण एजेंसी	
1.	मध्य प्रदेश	1
2.	उत्तर प्रदेश	1

(ख) लगभग 12 मामलों के अतिरिक्त जिसमें व्यापारियों के असन्तोषजनक ढंग से कार्य करने आदि के कारण तेल कम्पनियों द्वारा एजेन्सियों को समाप्त किया गया था शेष मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा जिला प्राधिकारियों के अनुरोध पर व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ।

बम्बई तथा मंगलौर के बीच कोंकण रेल-परियोजना को क्रियान्वित के लिए अनुमानित लागत

897. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई को रत्नगिरि के मार्ग से मंगलौर के साथ जोड़ने वाली कोंकण रेल परियोजना को, जिसके फलस्वरूप कोंकण तथा मंगलौर जाने वाले यात्रियों का सफर काफी कम हो जायेगा, संभवतः कब क्रियान्वित किया जायेगा;

(ख) उक्त सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या चालू वार्षिक बजट से इसके लिए कोई राशि निश्चित की गई है; और

(घ) इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक निधियां संचित करने के लिये क्या संसाधन जुटाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) कोंकण रेलवे के आप्टा (बम्बई के निकट)—दासगांव खण्ड पर अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। दासगांव और रत्नगिरि के बीच अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण के काम को, जिसमें रत्नगिरि और मंगलूर के बीच स्थानिक जांच शामिल है, पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और यह काम हो रहा है। सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लिये जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा। जब 1972 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था, तब आप्टा से मंगलूर तक 909 कि०मी० लम्बी सम्पूर्ण परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था, जिसमें चल-स्टाक की लागत भी शामिल थी। इस परियोजना के निर्माण को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनायी जाने वाली रेलवे लाइनों की सूची में शामिल कर लिया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना में 100 करोड़ रुपये की जो धनराशि आवंटित की गयी है, उसके अलावा, 255 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने के लिए योजना आयोग को पहले ही लिखा जा चुका है। लेकिन, वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए, योजना आयोग इस प्रयोजन के लिए धन आवंटित नहीं कर सका है।

हावड़ा-अम्ता रेलवे पर कार्य

898. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या हावड़ा–आम्ता रेलवे के लिये कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य हुआ है और उस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हावड़ा–आम्ता बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के निर्माण की मंजूरी अभी हाल में दी गयी है जिसकी अनुमानित लागत 10.72 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में खर्च के लिए 50 लाख रुपये की रकम स्वीकृति की गयी है जो संभवतः खर्च हो जायेगी।

एकलेखी-बलूरघाट यातायात सर्वेक्षण का पूरा होना

899. श्री ए० के० किस्कू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलेखी–बलूरघाट यातायात सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के आधार पर की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एकलेखी–बलूरघाट के बीच 90 किलोमीटर लम्बी प्रस्तावित बड़ी लाइन के लिए किये गये यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि इसके निर्माण पर 11.18 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यातायात के लिए खुल जाने के छठे वर्ष इससे (—) 2.07 प्रतिशत प्रतिफल होगा। कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस परियोजना को अभी हाथ में लेना सम्भव नहीं हो सकेगा। तथापि इस परियोजना को उन परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया गया है जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की जायेंगी और जिनके लिए रेलों को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग को लिखा गया है।

धर्मनगर-कुमारघाट रेल लाइन का निर्माण

900. श्री ए० के० किस्कू : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974–75 के रेल बजट में प्रस्तावित धर्मनगर से कुमारघाट तक 34 किलोमीटर लम्बी तथा 8.50 करोड़ पये की लागत वाली रेल लाइन पर कार्य आरम्भ हो चुका हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना कार्य हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): रेलवे के 1974–75 के बजट में धर्मनगर–कुमारघाट नई मीटर लाइन के निर्माण कार्य की उत्तर-पूर्वी परिषद् के व्यय पर आरम्भ करने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि उत्तर पूर्वी परिषद्, शिलांग ने अभी तक आवश्यक धन उपलब्ध नहीं किया है अतः इस परियोजना का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

चण्डीगढ़-लुधियाना रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

901. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़–लुधियाना रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्माण-कार्य संभवतः किस तारीख से आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के खर्च पर 1973 में किये गये अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण से पता चला था कि प्रस्तावित जगाधरी–चंडीगढ़-लुधियाना रेल सम्पर्क के चंडीगढ़–

लुधियाना भाग (95 कि०मी०) पर 19.56 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और उसके खुलने के छठे वर्ष में 0.25 प्रतिशत प्रतिफल होगा। यातायात बहुत कम होने की संभावना, कम वित्तीय प्रतिफल तथा वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को भूमि तथा मिट्टी के काम का खर्च वहन करने के लिए लिखा गया था, जैसा कि अन्य कई राज्यों ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरू करने के लिये किया है। पंजाब सरकार ने अब यह सूचित किया है कि यदि लाइन मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ से राजपुरा तक बिछायी जाये तो रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित रेलवे लाइन के लिए अभी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गयी है। राज्य सरकार से कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर विचार किये जाने से पूव वह प्रस्तावित सर्वेक्षणों का खर्च वहन करने के लिए अपनी रजामन्दी दे।

कच्छ की खाड़ी में प्राकृतिक गैस का मिलना

902. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले में ओखा पत्तन के समीप कच्छ की खाड़ी में प्राकृतिक गैस के एक क्षेत्र का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सफल छिद्रण कार्य की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कितनी गहराई पर गैस पाई गई; और

(घ) क्या उक्त क्षेत्र में तेल के विस्तृत क्षेत्र की खोज की जा रही है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्षेत्र में समुद्री भूभौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा संरचनात्मक सम्भावनाओं का संकेत मिला है। इसलिए अन्वेषी खुदाई की गई है। कूप का कार्य पूर्ण हो जाने तथा परीक्षण किये जाने के पश्चात् परिणामों का पता चलेगा।

Tribunals functioning in India

*903. **Shri M. C. Daga**

Will the Minister **of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the total number of tribunals functioning in the country at present in which retired or present judges of the High Courts and the Supreme Court are working ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Non-availability of Material for repair of Rail Wagons and Bogies

904. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of rail wagons and bogies lying for repair at present ; and

(b) whether thousands of skilled mistries and workers are sitting idle because they are not able to carry out repairs of these wagons and bogies due to non-availability of all the required parts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There are 14,126 Broad Gauge, 3,852 Metre Gauge wagons in four-wheeler units and 2,461 Broad Gauge and 1,257 Metre Gauge coaches undergoing and awaiting repairs in Workshops and Sick-lines on the Indian Railways. These represent 3·87% and 3·64% of the Broad Gauge and Metre Gauge goods stock respectively on Indian Railways. This is within the target laid down for goods stock. In respect of coaching stock, the total ineffective percentage on all accounts is 14·35% and 10·37% for Broad Gauge and Metre Gauge espectively. The target ineffective level for coaching stock is 14%.

(b) No, Sir.

कोचीन-एल्लेप्पी रेल लाइन का तकनीकी, आर्थिक और इंजीनियरी सर्वेक्षण

905. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन को रेल द्वारा एल्लेप्पी से मिलाने के लिए तकनीकी, आर्थिक और इंजीनियरी सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरे होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एल्लेप्पी को कायमकुलम से तथा पेल्लिचेरी को मैसूर से रेल द्वारा मिलाने के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने का है; और

(घ) कुट्टिप्पुरम को रेल द्वारा गुरुवायूर से मिलाने के लिए किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एर्णाकुलम से एल्लेप्पी तक बड़ी लाइन के लिए केरल की राज्य सरकार के खर्च पर प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें पहले किये गये यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना भी शामिल है।

(ख) इस सर्वेक्षण का अभी तक 40 प्रतिशत वास्तविक काम हो चुका है और आशा है कि यह काम 1976 के मध्य तक पूरा हो जायेगा।

(ग) वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति के कारण रेलवे के लिए इन परियोजनाओं को शुरू करना सम्भव नहीं होगा। तथापि यदि केरल की राज्य सरकार एल्लेप्पी से कायमकुलम तक के भाग का खर्च भी वहन करने के लिए सहमत हो जाये, जैसाकि एर्णाकुलम से एल्लेप्पी तक के लिए किया गया है और जिस पर काम हो रहा है, तो रेलवे इस भाग के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू कर सकती है।

(घ) सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी-अभी मिली है और इसकी जांच की जा रही है। 60.08 किलोमीटर लम्बी इस लाइन पर 10.73 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और आशा है कि इस पर मिलने वाला प्रतिफल 1.4 प्रतिशत डिस्काऊंटिड कैश फ्लो होगा। इस लाइन के निर्माण का निर्णय रिपोर्ट की जांच पूरी कर लिये जाने के बाद ही किया जायेगा।

जयन्ती जनता एक्सप्रैस के दिल्ली से मंगलौर और कोचीन पहुंचने के समय में कमी करने का प्रस्ताव

906. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती जनता एक्सप्रैस के दिल्ली से मंगलौर और कोचीन पहुंचने के समय में काफी कमी की जा सकती है;

(ख) क्या गन्तव्य स्थान पर पहुंचने का निर्धारित समय बहुत अधिक होने के कारण इस रेल गाड़ी को विभिन्न स्टेशनों पर काफी देर तक रोका जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी के गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के समय में कमी करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). सप्ताह में तीन बार चलने वाली 132 अप/131 डाउन निज़ामुद्दीन–मेंगलूर/कोच्चिन जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का कुल चालन समय और स्टेशनों पर उनके ठहरने का समय यातायात और परिचालन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही रखा गया है। इसलिए अभी इन गाड़ियों के चालन समय में और कमी करना सम्भव नहीं है ।

लौकहा-झंझरपुर और सकरी-हसनपुर रेलवे लाइनों का काम पूरा हो जाना

907. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में लौकाहा–झंझरपुर, सकरी-हसनपुर रेलवे लाइनों का काम पूरा होने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और उनके चालू होने का ठीक-ठीक कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): झंझरपुर–वाचस्पतिनगर खण्ड को, जो झंझरपुर लौकहाबाजार लाइन की लम्बाई का लगभग आधा है, यातायात के लिए शीघ्र ही खोले जाने की संभावना है। शेष भाग पर भी, धन की सीमित उपलब्धता के अनुसार, काम हो रहा है। बिहार के पिछड़े क्षेत्र में इस नयी लाइन की मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि भूमि और मिट्टी के काम की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है । भू-स्वामी समस्यायें पैदा कर सकते हैं ।

हसनपुर-सकरी नयी लाइन के लिए, जो एक अनुमोदित परियोजना है, भूमि और मिट्टी के काम की लागत वहन करने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है । राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस परियोजना पर काम प्रारम्भ किया जायेगा ।

धनबाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

908. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के श्रेणी I, II और III के कितने कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं जिनकी केन्द्रीय जां ब्यूरो जांच कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आजकल जांच किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :--

श्रेणी I --कोई नहीं
श्रेणी II --1
श्रेणी III --28

धनबाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के प्रत्येक विभाग में स्थानापन्न कर्मचारियों का सेवा में बहाल किया जाना

909. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में रेलवे के प्रत्येक विभाग में कितने स्थानापन्न कर्मचारियों को मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में सेवामुक्त किया गया था ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1975 तक उनमें से कितने कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लिये गये ; और

(ग) उन सबको सेवा में बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री(श्री बूटा सिंह) :

(क) यांत्रिक --223
यातायात----23

(ख) यांत्रिक --165
यातायात ---18

(ग) जब उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध होंगी उस समय उनकी पुर्नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

धनवाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में वफादार कर्मचारियों के बच्चों की नियुक्ति

910. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन, पूर्वी रेलवे, में श्रेणी तीन और श्रणी चार के संवर्गों के श्रेणी एक श्रेणी दो तथा श्रेणी तीन के कर्मचारियों के पुत्रों तथा आश्रितों को मई, 1974 में हुई रेल हड़ताल में वफादार कर्मचारियों के सम्बन्धियों की श्रेणी में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी एक, श्रेणी दो और श्रेणी तीन के कर्मचारियों के साथ प्रलग-अलग सम्बन्ध दर्शाते हुए ऐसी नियुक्तियों की सूचियां क्या हैं ; और

(ग) श्रेणी तीन और श्रेणी चार के संवर्गों में इस प्रकार नियुक्त होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां, केवल पुत्र और पुत्रियां ही नियुक्ति के पात्र हैं। किन्तु, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में अन्य आश्रित भी पात्र हैं।

(ख) सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की निम्नलिखित तीन नियुक्तियां तीसरी श्रेणी में की गई हैं :—

(i) श्री श्रीकुमार मुखेश	अनुसूचित	गार्ड
(ii) श्री राजिन्दर कुमार रजक	अनुसूचित	लिपिक
(iii) श्री रबि सांगा	अनुसूचित जन-जाति	लिपिक

अनुसूचित जाति के 15 और अनुसूचित जनजाति के 6 उम्मीदवारों के मामले अभी विचाराधीन हैं।

वर्ष 1975 के दौरान धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्थानापन्न तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

911. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 में धनबाद डिवीजन, पूर्व रेलवे, में कुल कितने स्थानापन्न तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ; और

(ख) उक्त नियुक्तियों में रेलवे कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों तथा बाहरी व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दरभंगा और मोहम्मदपुर के बीच सीसो में 'हाल्ट' स्टेशन बनाना

912. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा से 6 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा और मोहम्मदपुर के बीच सीसोग्राम में एक हाल्ट स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या गाड़ी किसी अन्य स्थान पर रुकती है और इस समय सीसो के नाम से दो हाल्ट स्टेशन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी नहीं। दरभंगा जंकशन और मोहम्मदपुर स्टेशनों के बीच दरभंगा से 5.75 किलोमीटर की दूरी पर शहवाजपुर गांव (सीसोगांव नहीं) के निकट एक हाल्ट स्टेशन खोलने की स्वीकृति दी गयी थी। बिहार सरकार की सिफारिश पर इसका नाम 'शीशो' रखा गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार गृहों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन

913. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने एकाधिकार गृहों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किये गये हैं ; और

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान समाचार पत्र गृहों को भी इस प्रकार के नोटिस जारी किए गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ): (क) तथा (ख). 26 जून, 1975 (जब आपात स्थिति लागू की गई थी) से 31-12-1975 तक की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा काफी संख्या में उपक्रमों या अन्यों पर 73 मामलों में, जिन पर प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्त होने के आरोप थे, के विषय में जांच के नोटिस जारी किये गये थे। इन में समाचार पत्रों के प्रकाशन कार्य में ग्रस्त काफी संख्या में उपक्रम सम्मिलित हैं ।

पेट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल तथा वस्तुएं बेचने की योजना

914. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले पेट्रोल पम्पों के माध्यम से मिट्टी का तेल तथा सामूहिक उपभोग की अन्य वस्तुएं बेचने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस मंत्रालय की प्रेरणा पर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, अर्थात् इंडियन आयल कारपोरेशन लि०;

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि० ने ग्रामी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित अपने अनेक फुटकर बिक्री केन्द्रों को अ ततः बहु-उद्देश्यीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों में बदलने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है । विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त जिनमें मिट्टी का तेल भी शामिल है, ये केन्द्र अनेक वस्तुओं और सेवाओं जिनकी ग्रामीण जनता को आवश्यकता होती है, जैसे प्रमाणित बीज, उर्वरक और अन्य कृषि सम्बन्धी कच्चे माल और आवश्यक पदार्थों, जैसे कन्ट्रोल का कपड़ा, आम घरेलू औषध साबुन, वनस्पति और ईंधन तेल (सील किये हुए टिन में) साइकिल के टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के पुर्जे, टार्चों के सैल आदि को भी बेचेंगे ।

(ख) अब तक देश के विभिन्न भागों में एक सौ चौदह ऐसे केन्द्र खोले गये हैं।

ब्राड गेज वैगनों का उपयोग में न लाना

915. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कितने ब्राड गेज वैगन अप्रयुक्त पड़े रहे हैं ; और

(ख) ब्राड गेज वैगनों का उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

महीना	बेकार पड़े बड़ी लाइन के माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या
जुलाई, 1975	352
अगस्त, 1975	5,176
सितम्बर, 1975	9,533
अक्तूबर; 1975	20,730
नवम्बर, 1975	19,932
दिसम्बर, 1975	10,830

(ख) थर्मल स्टेशनों, सीमेंट कारखानों आदि जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा कोयले की कम खरीद के कारण और विश्व बाजार में मन्दी के फलस्वरूप निर्यात के लिए लौह अयस्क के कम संचलन के कारण भी पिछले छः महीनों में बड़ी लाइन के माल डिब्बे आवश्यकता से अधिक रहे ।

स्नेहकों के बारे में तकनीकी जानकारी हेतु कैस्ट्रोल इन्टरनेशनल के साथ भारतीय तेल निगम का समझौता

916. **श्री बंसत साठे** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम फरीदाबाद स्थित अपने अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र के लिये स्नेहकों के बारे में तकनीकी जानकारी हेतु कैस्ट्रोल इन्टरनेशनल के साथ समझौता करने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरर्हमान अंसारी): (क) और (ख) जी हां। करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Paper laid on the Table

महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश और बिहार तथा बम्बई के परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सईद मोहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) सां० आ० 722 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 30 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) सां० आ० 728 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें पंजाब राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मई, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 41 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(तीन) सां० आ० 737(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 27 जुलाई, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 18 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(चार) सां० आ० 738 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 2 दिसम्बर, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 28 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(पांच) सां० आ० 739 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 45 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(छः) सा० आ० 740(ङ) जो भारत के राजस्व दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 8 फरवरी, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 33 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(सात) सां० आ० 3 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1976 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 5 अगस्त, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 20 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 101 55/76]।

(2) अधिसूचना संख्या सां० आ० 723 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 43ग की उपधारा (8) के अधीन अरूणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के दिनांक 5 नवम्बर, 1975 के आदेश में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।
[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10156/76]।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों (बिहार) का परिसीमन संशोधन आदेश, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 494 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों (बम्बई) का परिसीमन संशोधन आदेश, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 589 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 10157/76]।

बी० ओ० एन० (बीटा ओक्सी नेप्थाइक) ऐसिड के मूल्य ढांचे सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन, 1974 और उसपर सरकार की सिफारिशें

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बी० ओ० एन० (बीटा ओक्सी नेपथाइक) ऐसिड के मूल्य ढांचे सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1974) ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकारी निर्णय अधिनियम करन वाला सरकारी संकल्प संख्या 19011/4/75 पी सी० 1, दिनांक 14 जनवरी, 1976 ।

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16 को उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के अन्दर उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए सख्या एल० टी० 10158/76]। ।

एकाधिकार तथा निबन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नियम और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत वरमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग (जांच निदेशक की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2785 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10159/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/30/75–आईजीसी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम की धारा 198, 259, 268, 269, 309, 310, 311, 387 तथा 388 के सरकारी कंपनियों पर लागु होने के बारे में है ।
[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10160/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 अगस्त, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 936 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2531 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) कम्पनी (आरक्षित निधि में लाभ का अन्तरण) नियम, 1975 (हिन्दी संस्करण जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 मे अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2532 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) कम्पनी (आरक्षित निधि में से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2533 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2596 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) कम्पनी समापन लेखा (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2597 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार को अपील) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2598 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2828 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) कम्पनी विधि बोर्ड (बैंच) नियम, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 583(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धिपत्र जो अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 11(ङ) दिनांक 3 जनवरी, 1976 में प्रकाशित हुआ था ।

(दस) लागत लेखा अभिलेख (पटसन उत्पाद) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 590(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक अल्कोहल) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 594(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) लागत लेखा अभिलेख (कागज) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 601(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) उपर्युक्त अधिसूचना (नौ) के हिन्दी संस्करण को अंग्रेजी संस्करण के साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10161/76]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक रसायन लिमिटेड, रसायनी और भारत औषध तथा भेषज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य ढांचे के बारे में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक रसायन लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक रसायन लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10162/76]

(ख) (एक) भारत औषध तथा भेषज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 10163/76]

(2) टैरिफ़ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य ढांचे के बारे में टैरिफ़ आयोग का प्रतिवेदन, जो आयोग द्वारा 19-2-1975 को केन्द्रीय सरकार को पेश किया गया था, निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 10164/76]

तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड मद्रास के वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन और उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल ०टी० 10165/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 13(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 10166/76]

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE ON PRIVILEGES

16 वाँ प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (वेतुल) : मैं विशेषाधिकार समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक

CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) ORDINANCE

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब शुरू में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक प्रगतिशील कदमों के क्रियान्वयन का विरोध करने वालों को दण्डित करने हेतु पुर:स्थापित किया गया था तो हमने उसका समर्थन किया था । उस समय गृह मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इस का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जायेगा और राजनीतिक लाभों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जायेगा । इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर मेरी आपत्ति यह है कि विधेयक के उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण में कहा गया है :

" . . . किसी भी नजरबन्द व्यक्ति को कोई कारण, सूचना अथवा अन्य कोई बात बताने अथवा उस पर प्रकट करना आवश्यक नहीं है ।"

यह बहुत ही आपत्तिजनक है । किसी भी व्यक्ति को एक साधारण से पुलिस सब- इन्सपेक्टर अथवा उसकी अनुपस्थिति में एक सिपाही की रिपोर्ट पर वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जायेगा ।

आल इण्डिया डिफेन्स इम्पलाईज़ फेडरेशन के प्रतिनिधियों का अब सक्रिय राजनीति से कोई सम्बन्धी नहीं है। इसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री एम० के० राहुल को कलकत्ता में उच्च-न्यायालय द्वारा दो बार जमानत दी जा चुकी है परन्तु वह फिर भी नजरबन्द है। उसके विरुद्ध आरोप यह है कि 1973 में वह अलीपुर पुलिस स्टेशन में बम फैंक रहा था। उसे 1975 में गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में अम्बरनाथ के आयुद्ध कारखाने के महाप्रबन्धक तथा कर्मचारियों में कोई विवाद चल रहा था। यह विवाद महाप्रबन्धक तथा स्टाफ यूनियन ने मिलकर हल कर लिया। बाद में महाप्रबन्धक ने पुलिस से साठगांठ कर के हमारे प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करा दिया। हमारा यह अनुभव रहा है कि गृह मंत्री के आश्वासन दिये जाने के बाजूद भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। अब वह और शक्तियां चाहती है और कुलदीप नैयर के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण ऐसा और भी आवश्यक हो गया है। इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूं। इस घातक कानून को वापस लिया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सरकारी महान्यायवादी द्वारा तर्क दिया गया है कि देश में जीने का अधिकार नहीं है; स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सरकार इसे साबित कर रही है। इस कानून को पास करने से पूर्व सरकार हमें यह बताए कि उच्चतम न्यायालय का इस बारे में क्या उत्तर है, यह अत्यधिक घातक कानून है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह आपातकालीन विधान है। ऐसी परिस्थिति पैदा होने के कारण आपात-स्थिति की घोषणा की गई थी और तभी ऐसा कानून लाना अनिवार्य हो गया था। जहां तक आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम का दुरुपयोग किये जाने के कुछ मामलों के बारे में मिली शिकायतों का सम्बन्ध है मैं ऐसी सम्भावना से इनकार नहीं करता लेकिन सरकार की नीति रही है कि 'आंसुका' के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यदि कुछ मामलों में दुरुपयोग हुआ है तो केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है और केन्द्रीय सरकार नजरबन्दी के आदेश को रद्द कर सकती है। यदि ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये जाय तो वह निश्चय ही उनकी जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में--127 : विपक्ष में--27
Ayes 127 : Noes 27

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेशों के बारे में विवरण

STATE MENT REGARDING MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCES.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71(1) के अधीन अपेक्षित है ।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION *RE.* SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANG E MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) ORDINANCE AND SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY), BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 पर श्री इराज्मु-द-सेकैरा के सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे ।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्य मंत्रणा समिति सभी तथ्यों पर विचार करके विभिन्न मदों के लिए समय नियत करती है । कल आय तथा धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक के लिये, तीन घंटे नियत किये गये थे परन्तु हमने 5 घंटे लिये । इस तरह हम कार्य पूरा नहीं कर सकते । इस विधेयक के लिये 2 घंटे नियत किये गये हैं । मंत्री महोदय 14.45 बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे । शेष आधा घंटा खंडवार चर्चा तथा तीसरे वाचन के लिए होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 20) का निरनुमोदन करती है ।"

यह अध्यादेश फासिस्टवाद का एक उदाहरण है जिसके अन्तर्गत यह सरकार कार्य कर रही है । यह बड़े दुःख की बात है कि हाल में 20 अध्यादेश जारी किये गये हैं और हमारा देश संसद् द्वारा विधान बनाने की अपेक्षा अध्यादेशों के माध्यम से शासित किया जा रहा है ।

हम इस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हैं कि जो सम्पत्ति तस्करी और विदेशी मुद्रा छलसाधन द्वारा अर्जित की गई है उसे जब्त किया जाना चाहिये। वस्तुतः जब विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम पर चर्चा की जा रही थी तो सदन के इस पक्ष ने तस्करी और विदेशी मुद्रा छलसाधन द्वारा अर्जित की गई तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित सम्पत्ति के समपहरण की मांग की थी और सरकार ने इसका विरोध किया था।

यह किसी भी किस्म के अध्यादेश का विषय नहीं है। यह विषय पहले सदन के समक्ष लाया जाना चाहिये और बाद में इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये था क्योंकि ऐसे उपायों के दुरुपयोग की पर्याप्त सम्भावना होती है। गोआ में नजरबन्दी निवारक अधिनियम के अन्तर्गत पंजिम नगरपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बिना मुकदमा चलाये और बिना आरोप के जेल में डाल दिये गये। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नगरपालिका अधिनियम के उपबन्धों का दुरुपयोग करके उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और अब स्थानीय सत्तारूढ़ दल का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस नगरपालिका का अध्यक्ष है। गोआ के उपराज्यपाल इस सरकार के प्रतिनिधि हैं परन्तु उनका व्यवहार ऐसा है जैसाकि किसी दूसरे देश में वह राजदूत हों। एक अन्य मामले में कुछ समय पूर्व एक रिक्शाचालक की नृशंसहत्या कर दी गई। पुलिस को कातिल का पता था फिर भी उसने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के किसी व्यक्ति को वहां भेजकर मामले की जांच करायें।

विधेयक के उद्देश्यों से यह पता चलता है कि यह कुछ व्यक्ति विशेष पर लागू होगा। धारा 2(2)क से पता चलता है कि यह समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, 1878, अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन दोषी व्यक्ति पर लागू होगा। मंत्री महोदय इन उपबन्धों पर विचार करें और अधिनियम बन जाने पर यह बात सुनिश्चित करें कि यह केवल उन्हीं लोगों पर लागू हो जो वास्तव में तस्कर हैं तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक हैं।

जहां तक न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है उसमें एक न्यायाधीश तथा सरकार के तीन संयुक्त सचिव होंगे क्या ऐसे न्यायाधिकरण से मामले की सही समीक्षा करने या न्याय देने की आशा की जा सकती है? हम सब जानते हैं कि इससे क्या होगा? विभागीय अनुदेश जारी किये जायेंगे और समीक्षा एक औपचारिकता मात्र होगी। यदि सरकार तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छलसाधकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए वास्तव में गम्भीर है तो जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध घोषणा की जाती है तो उसे निष्पक्ष जांच का अवसर दिया जाना चाहिये।

जिन लोगों को नजरबंदी आदेश दिया गया है उन पर इस विधेयक को लागू करने पर मुझे आपत्ति है। यदि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें उन लोगों को तब तक अपराधी नहीं मानना चाहिये जब तक कि वे अपराधी सिद्ध न हो जायें। यदि सरकार लोकतंत्र समाज में विश्वास करती है तो उसने कानून, अपराधी ठहराने और न्यायाधीश का काम स्वयं क्यों संभाल लिया है।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि इसकी अच्छी तरह जांच हो सके। हम सभी चाहते हैं कि तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों को बढ़ावा न दिया जाये।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छलसाधकों को अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का समपहरण करने और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय इस विधेयक का उद्देश्य तस्करों और विदेशी मुद्रा छल साधकों (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 का जो राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 1975 को प्रतिस्थापित किया गया था, कुछ संशोधनों के साथ स्थान लेना है।

जिन परिस्थितियों में यह अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा गया उन्हें पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। अतः मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।

अध्यादेश की भांति विधेयक में भी यह उपबंध है कि तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों द्वारा अवैध ढंग से हासिल की गयी सम्पत्ति को सरकारी अधिकार में ले लिया जाये ताकि वे समाज-विरोधी और छिपी गतिविधियां जारी न रख सकें। यह विधेयक उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें विदेशी मुद्रा या सीमा-शुल्क कानूनों के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो और जिन्हें विदेशी मुद्रा तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तगत नजरबंदी आदेश किये गये हों। इस विधेयक के उप बंध ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्धियोंऔर गठजोड़ रखने वालों पर भी लागू होंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति अवैध ढंग से हासिल की गई है तो वह सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार जब्त कर लेगी। इस प्रयोजनार्थ अवैध ढंग से हासिल की गई सम्पत्ति का अर्थ होगा कि वह आय या परिसम्पत्तियां जो विधि द्वारा प्रतिषिध ढंग से या कानून का उल्लंघन करके हासिल की गई है।

प्रस्तावित कानून केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के नीचे किसी अन्य अधिकारी द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की किसी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में इस अधिकारी को यह विश्वास हो जाएगा कि यह अवेध रूप से प्राप्त की गई है, तो वह सम्बन्धित व्यक्ति के नाम इस आशय का एक नोटिस जारी करेगा कि इस सम्पत्ति को अवैध रूप से प्राप्त घोषित क्यों न किया जाए और सरकार द्वारा जब्त क्यों न कर लिया जाए। कारण बताओं नोटिस की आपत्तियों पर, यदि कोई है तो, विचार करने और सम्बन्धित व्यक्ति की बातको सुनने का पर्याप्त अवसर देने के बाद अधिकारी यह निर्णय करेगा कि सम्पत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई हैं अथवा नहीं।

विधेयक में यह सुनिश्चित करने का उपबंध किया गया है कि एक बार के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाए, पर पेशेवर अपराधी कानून की पकड़ से न बच जाएं। यह उपबंध भी किया गया है कि यदि किसी सम्पत्ति के आधे से कम भाग को प्राप्त करने का साधन अवैध, है, तो प्रभावित व्यक्ति को यह छूट होगी कि वह या तो जुर्माना दे दे या सम्पत्ति को जब्त करा लें।

ऐसे मामले भी आ सकते हैं कि जब अवैध रूप से प्राप्त की गई सम्पत्ति एक ऐसे ट्रस्ट के पास हो जिसे ऐसे व्यक्ति ने बनाया हो जिस पर यह अधिनियम के उपबंध लागू होते हों। अथवा ट्रस्ट ने उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के दान से प्राप्त किया हो। विधेयक में ऐसे मामलों के संबंध में भी एक उपबंध है।

विधेयक में जब्त सम्पत्ति संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी उपबंध किया गया है जिसमें उपयुक्त अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। इसमें तीन सदस्य होंगे तथा इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो अथवा उसके योग्य हो। अपीलीय न्यायिक न्यायधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

विधेयक के उपबंधों से तस्करी और विदेशी मुद्रा के घोटालों, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा रहा है, बहुत लंबी अवधि तक रोका जा सकेगा।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैं संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दमान) : विधेयक के उद्देश्य स्वागत योग्य हैं। वस्तुत : यह विधेयक बहुत पहले ही लाना चाहिए था। जब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम यहां पहली बार पेश किया गया था और उस पर चर्चा हो रही थी, तब हमें केवल एक ही भय था कि इसका दुरुपयोग किया जायेगा। जब तक इसे शक्ति के साथ लागू नहीं किया जायेगा यह केवल मात्र कानून का टुकड़ा ही रहेगा।

यह अध्यादेश अब 5 नवम्बर, 1976 को जारी किया गया था। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि इस अवधि में कितने मामलों पर कार्यवाही की गई है। सरकार ने कितने 'कारण दिखाओं नोटिस जारी किये हैं ? यदि इन लोगों के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही करना अनिवार्य नहीं है तो इस अध्यादेश, का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक तस्करों को दंड देने का सम्बन्ध, सरकार उन्हे अनुकरणीय दंड दे सकती है लेकिन उन पर मुकदमा चलाने के बाद ही सरकार को केवल यह कानून ही नहीं अपितु सामान्य कानून के उपबंध भी लगाने चाहिये। संसद ने इसे ये शक्तियां बिना किसी हिचकिचाहट के दे दी है।

इस विधेयक में कुछ कमियां हैं जिन्हे दूर किया जाना चाहिये। सर्वप्रथम, मुख्य अधिनियम जम्मू और काश्मीर में ही लागू होता था लेकिन यह अधिनियम उस राज्य में लागू नहीं किया जा रहा। क्या वहां गैर कानूनी तरीकों से प्राप्त की गई कोई सम्पत्ति नहीं है ? अवैध तरीकों से धन कमा कर लोग वहां जाकर सम्पत्ति खरीद सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि अचल सम्पत्ति अर्जित नहीं की जा सकती ; लेकिन चल सम्पत्ति के बारे में क्या किया है ?

फिर खंड 2(2) (क) के अन्तर्गत यह अधिनियम उन लोगों पर, जिन्हे किसी दोष के लिए अपराधी सिद्ध किया गया है लागू होगा। अधिनियम के अन्तर्गत अदालतों द्वारा किसी दोष को सिद्ध किया जाना चाहिये और अभियुक्त को दंड दिया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, किसी अदालती कार्यवाही में किसी व्यक्ति को अवैध आयात या सामान की तस्करी का दोषी सिद्ध किया गया है और उसकी सम्पत्ति अर्जित करती है। क्या ऐसी कार्यप्ही इस अधिनियम के अन्तर्गत आयेगी या नहीं ? यह एक इतनी बड़ी खामी है कि इसकी किसी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से बहुत से लोग सजा से बच निकलेंगे।

'सहयोगी' शब्द की परिभाषा के अनुसार एक साधारण सा व्यक्ति भी इन अधिकारों के दुरुपयोग का शिकार बन सकता है और निर्दोष लोग बच सकते हैं। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये।

न्यायाधीकरण बनाने का उद्देश्य उन लोगों को अपनी सम्पत्ति के बारे में सही स्रोत का प्रमाण देने के लिये अवसर प्रदान करना है। यदि इस न्यायाधिकरण में संयुक्त सचिवों को शामिल किया जाना है, तो हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद मध्याह्न पश्चात 2 बज कर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**]

(*Mr* Deputy Speaker *in the chair*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : खंड 19 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था से कुछ मामलों में निश्चय ही बड़ी कठिनाई होगी। इसमें ऐसी सम्पत्तियों पर कब्जा करने की व्यवस्था की गई है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की जा चुकी है। हो सकता है माहवार किराया देने वाले व्यक्ति का सम्पत्ति पर वास्तविक कब्जा हो।

श्री बो० आर० शुक्ल (बहराईच) जिस उद्देश्य और भावना से यह विधेयक पेश किया जा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं। स्वतन्त्रता के गत 27 वर्षों में पहली बार सरकार ने तस्करों और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने वालों के अड्डों को समाप्त करने के लिये गंभीर प्रयास किया है। लेकिन अधिनियम में कई कमियां हैं। अतः यह अधिनियम तस्करों और हेराफेरी करने वालों द्वारा गैर कानूनी ढंग से प्राप्त की गई सम्पत्ति की कठिन समस्या को सतोषजनक ढंग से हल करने वाला नहीं है।

यह अधिनियम उन लोगों पर लागू होगा जो समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा अधिनियम के अन्तर्गत पहली बार दोषी ठहराये गये हैं। और साथ ही यदि इन अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये अपराध में अन्तर्ग्रस्त राशि एक लाख अथवा उससे अधिक रुपये की हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जिसमें 99,999 रुपये की राशि अन्तग्रस्त हो तो वह इस कानून की गिरफ्त में नहीं आयेगा जबकि वह व्यक्ति जिसे एक से अधिक बार ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है जिसमें चाहे 200 अथवा 300 रुपये की ही राशि क्यों न अन्तर्ग्रस्त हो इस कानून के अन्तर्गत आयेगा। यह समझ नहीं आता कि इन दो प्रकार के व्यक्तियों के वर्गीकरण तथा भेदभाव के पीछे क्या मानदंड अपनाया गया है।

हमें इस कानून की परिधि तथा क्षेत्र का विस्तार करना होगा ताकि कुख्यात तस्करों और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने वाले लोगों को भी इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जा सके। विधेयक में एक ऐसा खंड भी होना चाहिये जो कि पेशेवर तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने वाले लोगों पर लागू हो। विधेयक में इस आशय का एक संशोधन किया जाये।

जहां तक न्यायाधिकरण का संबंध है, यह कहा गया है कि इसके सदस्य उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दर्जे के होने चाहियें। लेकिन पहले भी आलोचना हुई है और न्यायाधीशों की कार्यवाहियों के विरुद्ध भी आलोचना होगी। अतः हमें किसी न किसी रूप में सरकारी अधिकारियों पर विश्वास करना होगा अन्यथा अव्यवस्था फैल जायेगी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए भी कोई उपबन्ध नहीं है और उच्चतम न्यायालय के वकील अपनी प्रखर बुद्धि से न्यायाधिकरणों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर किसी न किसी आधार पर हस्तक्षेप कर लेंगे। अतः यह न्यायपालिका कार्य वहां ही रहेगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर): गत वर्ष माननीय मंत्री, श्री प्रणाब कुमार मुखर्जी ने बताया था की 1974 के दौरान 88.31 करोड़ रुपये के मूल्य की तस्करी की वस्तुएं बरामद की गई थीं। वित्त मंत्री, श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने सभा में हुए वाद-विवाद के दौरान बताया था कि 1970 में 22 करोड़ रुपये, 1972 में 20 करोड़ रुपये और 1973 में 28 करोड़ रुपये की वस्तुएं बरामद की गईं थीं।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। उद्देश्यों को पढ़ने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस विधेयक का क्षेत्राधिकार यदि अब नहीं तो भविष्य में बढ सकता है। और इसका विस्तार अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन तक हो सकता है जबकि इस समय यह केवल तस्करी ही तक सीमित है।

हो सकता है कि सरकार यह विधेयक पारित करवा ले। किन्तु तस्करों के लिए यह वरदान सिद्ध होगा। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति का समपहरण नहीं किया जायेगा जिसने एक लाख रुपये के मूल्य की तस्करी का अपराध किया है। यह बड़ी विचित्र बात है।

इसी प्रकार यदि कोई न्यायालय किसी व्यक्ति की नजरबन्दी का आदेश रद्द कर देता है तो उसकी सम्पत्ति के बारे में 'पूछताछ' नहीं की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई आदेश रद्द कर दिया जाता है तो उस मामले की भी जांच नहीं की जा सकती। विधेयक में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिएं।

विधेयक के 'स्पष्टीकरण' 4 में कहा गया है "संदेह दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रश्न का सुनिश्चिय कि अमुक व्यक्ति पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं अथवा नहीं उन तथ्यों, परिस्थितियों या घटनाओं (जिसमें अभियोग अथवा नजरबन्दी शामिल है) के संदर्भ में किया जा सकता है जो अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व हुई थी"। मैं जानना चाहता हूं कि उन मामलों में क्या होगा जो व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद इन अपराधों के दोषी पाये गए हैं। इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मध्याह्न भोजन से पूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे बताया है कि अभी सभा के समक्ष बहुत अधिक काम पड़ा हुआ है। कल एक विधेयक के लिए 3 घंटे का समय नियत किया गया था किन्तु उस पर पांच घंटे का समय लग गया जिससे सारी गड़बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूं कि निर्धारित समय के अनुसार सभा की कार्यवाही चलायी जाये।

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० ररघुमैया): यह समय कार्य मंत्रणा समिति ने निर्धारित किया है जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे सहयोग दीजिए। अभी कांग्रेस दल के 6 सदस्यों ने भाषण देने हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट का समय दूंगा।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : यह सही है कि पिछले अनेक वर्षों से तस्करी की बुराई के कारण देश की अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो गई थी। पहले केवल सोने की तस्करी होती थी। किन्तु गत कुछ वर्षों से सभी उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी हो रही है। यह अच्छी बात है कि पिछले एक वर्ष में तस्करी पर बहुत रोक लगी है । इस अधिनियम तथा अन्य कठोर कार्यवाही से यह बुराई काफी हद तक समाप्त हो जायेगी

अब प्रश्न यह है कि क्या इन कड़े उपायों से तस्करी की बुराई समाप्त हो जायेगी । उत्पादन शुल्क अधिक होने के कारण ही तस्करी को बढावा मिलता है । यदि उत्पादन शुल्क एक उचित सीमा तक लगे तो इन वस्तुओं की मांग बढेगी तथा देश में इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिक उद्योग स्थापित होंगे। अतः उत्पादन शुल्क कम किया जाये। जिससे तस्करों के लिए यह कार्य लाभकारी न रहे। उत्पादन शुल्क के दर ढ़ांचे का समायोजन किया जाना चाहिए।

इस समय पकड़ा गया सारा माल देश में सहकारी समितियों या अन्य किसी प्रकार बेच दिया जाता है । इससे तस्करों को सरकार द्वारा बेचे गए माल के रूप में अपना माल बेचने में मदद मिलती है । इसे बंद करके उस माल का पुनः निर्यात किया जाना चाहिए। चोरी-छिपे लाये गए माल की बिक्री देश में बंद होनी चाहिए और जब तक यह बंद नहीं हो जाती तब तक तस्करो को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वाले लोगों की सम्पत्ति जब्त करने वाला यह विधेयक बड़ा ही समयोचित है, क्योंकि यह इस अवैध व्यापार पर सीधे प्रहार करता है । विदेशी मुद्रा के गोलमाल पर काफी हद तक रोक लगेगी। विदेशी मुद्रा निदेशालय को अधिक सतर्क, सक्रिय और चौकस रहना चाहिए। उसमें मामलों को यथा-शीघ्र निपटाने की क्षमता होनी चाहिए। हरिदास मूंदड़ा और ल्युइस ड्रेफ्स एण्ड कम्पनी जैसे कई बहुत पुराने मामले अभी भी लटके पड़े हैं। सरकार इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं कर लेती ?

अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। यह एक आदर्श विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री प्रणब कमार मुखर्जी : इस विधेयक का प्रायः सभी ने समर्थन किया है और कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य सरहानीय है । कुछ सदस्यों के मतानुसार विधेयक के कुछ उपबन्ध अत्यन्त

कठोर हैं। और सरकारी अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारियों को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जबकि कुछ अन्य सदस्यों ने कहा है कि यह बहुत उदार है और सरकार केवल बहाने बनाना चाहती है। एक प्रश्न यह भी किया गया है कि इस अध्यादेश को जारी करने की क्या जरूरत थी और अध्यादेश जारी करने के बाद क्या कार्यवाही की गई है। इस विधेयक के उपबन्ध अध्यादेश के रूप में 5-11-75 को लागू हुए। यह सुझाव दिया गया है कि जब तक तस्करों की सम्पत्ति को जब्त नहीं किया जाता तब तक हम केवल उन्हें कुछ विशेष अवधि के लिए जेल में रखकर इस बुराई को समाप्त नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने पहले बताया है कि वह तस्करों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियों को जब्त करने के सम्बन्ध में उचित विधान लाने पर विचार कर रहे हैं। अतः जब तक तस्करों तथा विदेशी मुद्रा छल साधकों के मन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके यह भय नहीं डाल दिया जाता कि उनके द्वारा अवैध रूप से कानून का उल्लंघन करके जो धन अर्जित किया गया है उसका लाभ न तो वे ही उठा सकेंगे और न ही उनके निकट सम्बन्धी तब तक तस्करी को समाप्त करना संभव नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। चूंकि वित्त मंत्री ने एक वर्ष पूर्व इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए थे और इससे उन लोगों को चेतावनी मिल गई और विधेयक का समूचा उद्देश्य पूरा हो गया। विधेयक का समूचा उद्देश्य असफल नहीं होगा।

जब तक हम अपराधियों को नहीं पहचानते और उनका पता नहीं लगाते तथा यह सिद्ध नहीं करते कि यह तस्करी की गतिविधियों और सम्पत्ति का परिणाम है, तब तक हम विधेयक के उपबन्धों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। ज्योंही यह अध्यादेश जारी किया गया, हमने इस दिशा में कदम उठाने आरम्भ कर दिए। यह सही नहीं है कि अध्यादेश जारी होने के बाद हमने कोई कार्यवाही नहीं की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यह विधान अधिनियम बन जायेगा तो हम इसके अनुसार कदम उठायेंगे। यद्यपि तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करना कोई आसान कार्य नहीं है।

प्रश्न उठाया गया है कि क्या नकद राशि को सम्पत्ति माना जायेगा। हमने इस मामले में विधि मंत्रालय से परामर्श किया है और उनके सुझाव के अनुसार नकद राशि को सम्पत्ति माना जायेगा। फिर यह प्रश्न किया गया है कि क्या "सहयोगी" शब्द की परिभाषा का विचार करने से निर्दोष लोग इस विधेयक की चपेट में आ जायेंगे। इस सम्भावना से बिल्कुल इन्कार नहीं किया जा सकता। हमें इस प्रकार की गतिविधियों का, विशेषकर उन बड़े-बड़े मुखियाओं का, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, पता लगाना है और कि वे कैसे कार्य संचालन करते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखें तो विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर गतिविधियां निवारण अधिनियम का मूल उद्देश्य यही है कि इन बड़े-बड़े अपराधियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाये जो सामान्य कानून के अन्तर्गत अदालतों के मुकदमों से बच जाते हैं। फिर यह प्रश्न किया गया है कि हम "पुराना अपराधी" शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते। यदि हम केवल आदतन अपराधियों तक ही सीमित रहते हैं तो वे मुख्य अपराधी बच जाएंगे जो कि इस सब के पीछे होते हैं।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : अपना सांविधिक संकल्प पेश करते हुए मैंने सरकार से यह बताने का अनुरोध किया था कि विधेयक के बजाय अध्यादेश जारी करने के क्या कारण थे। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि इससे भय का वातावरण पैदा हो गया था और इससे अध्यादेश की पकड़ में आने वाले लोगों का पता लगा लिया गया है । परन्तु यह तो अध्यादेश जारी किए बिना भी किया जा सकता था। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सरकार अध्यादेश के द्वारा राज्य करना चाहती है, जो एक फासिस्टवादी ढंग है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत अत्यधिक अधिकार दिए गये हैं जिनका दुरुपयोग हो सकता है । अतः इस दिशा में कुछ सुरक्षात्मक नियंत्रण किए जाने आवश्यक हैं, क्योंकि तस्करी और विदेशी मुद्रा का गोलमाल बिना सरकारी तंत्र के सहयोग के नहीं चल सकता। अतः विधान बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, वरन् उसे सावधानी से और निष्ठा से लागू किया जाना चाहिए। पर सरकार इसमें विश्वास नहीं रखती वह तो केवल विधान बनाना जानती है।

स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत प्रकट की गई राशि के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। क्या सरकार अवैध रूप से प्राप्त सम्पत्ति के मामलों को भी इस योजना के अन्तर्गत लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अध्यादेश, 1975 (1975 को अध्यादेश संख्या 20) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The motion to refer the Bill to a Joint Committee was put to vote and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का समपहरण करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

खण्ड 2

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैंने अपना संशोधन संख्या 2 इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जिससे मंत्री महोदय इस विधेयक को समिति को सौंपने पर और विचार करें।

उप खण्ड (2) (ख) का लोप किए जाने का संशोधन मैंने इस कारण दिया है क्योंकि इससे सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण जेल में डाल सकती है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : पहले संशोधन के संबंध में मेरा कहना यह है कि हम इसे तस्करों तक ही सीमित न रख कर, तटकर अधिनियम, समुद्र तटकर अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले लोगों पर लागू करना चाहते हैं।

मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं कि इसके अन्तर्गत निर्दोष व्यक्तियों को जेल में डाला जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amenndment Nos. 2 and 3 were put and Negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री इराज्मु-द- सेकैरा : मैं अपना सशोधन संख्या 4 पेश करता हूं। इसमें मैंने कहा है कि इस कानून को इतना व्यापक न बनाया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसकी जद में आ सके वरन् इसमें 'निषेधात्मक' शब्द जोड़ा जाए तथा उन्हीं कार्रवाइयों तक ही सीमित किया जाए।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : कुछ वस्तुओं के लाने का निषेध है जबकि अन्य का विनियमित। इसलिए हमें इसे 'निषेधात्मक' और 'विनियमित' कानूनों की व्यवस्था इसमें की है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

खण्ड 7

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं। इस संशोधन में मैंने यह व्यवस्था किए जाने की मांग की है कि किसी सम्पत्ति को सरकार द्वारा जब्त किए जाने की दशा में उससे सम्बन्धित किसी बात पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यथा एक मकान को जब्त करते समय उसके किराएदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यदि हम ऐसा मानते हैं तो तस्कर सभी प्रकार के सम्पत्ति के अधिकारी ला जुटाएंगे और तब किसी भी सम्पत्ति को प्राप्त करना सरकार के लिए कठिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने'।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 विधेयक में जोडा गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैं अपने संशोधन संख्या 6 और 7 पेश करता हूं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इन संशोधनों से कोई सुधार नहीं होगा बल्कि इससे और कठिनाई पैदा हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 6 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड (9) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

खण्ड 12

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 9 और 10 पेश करता हूं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : विधेयक में वही शब्दावली प्रयुक्त की गई है जो अक्सर विधानों में की जाती है तथा संशोधनों द्वारा सुझाए गए परिवर्तन से कुछ लाभ नहीं होगा, अतः प्रचलित शब्दावली को ही चलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8 से 10 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 8 से 10 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 8 to 10 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मैं अपना संशोधन संख्या 11 पेश करता हूं। यह संशोधन वैसा ही है जैसा कि मैं पहले पेश कर चुका हूं। अन्य सब बातों के रहते भी तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा

की जानी चाहिए। जैसा कि औरंगाबाद के एक होटल का मामला है, जिसमें महाराष्ट्र वित्त संगठन ने पर्याप्त रुपया लगा रखा है। परन्तु होटल को जब्त किए जाने की दशा में वित्त संगठन को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है वह मामलों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से किया गया है न कि न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समाप्त करने की दृष्टि से, क्योंकि इस देश में सज़ा केवल न्यायालय के उठने तक की दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 11 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 से 17 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 15 to 17 were added to the Bill.

खण्ड 18

श्री इराज्मु-द सेकैरा : मैं संशोधन संख्या 12 और 13 पेश करता हूं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : संशोधनों से सम्बन्धित उपबन्ध सम्पत्ति आदि की पूरी जांच करने के बारे में है। बहुत सी सम्पत्ति उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो सकती है। इसी कारण जांच का इतना विस्तृत अधिकार दिया गया है। परन्तु ऐसी जांच केवल कुछ जानकारी मिलने पर ही की जा सकती है। ऐसा नहीं कि किसी की भी जांच करने लगें। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 12 और 13 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 12 & 13 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 से 27, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 19 to 27, Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुजर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The property of a big smuggler of Bihar has not been confiscated so far because he has joined Congress. If no action is taken in such cases this Bill will remain only on paper.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यदि विधेयक के उद्देश्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो कुछ भी प्रशंसनीय नहीं प्रतीत होता। उद्देश्यों के अनुसार तस्कर व्यापार और विदेशी मुद्रा के छलसाधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि वित्त मंत्री इन घातक और घृणित प्रभावों के प्रति जागरूक हैं तो निश्चय ही मैं उन्हें इस विधेयक के पेश करने पर बधाई देता हूं लेकिन मेरी शिकायत यह है कि अर्थव्यवस्था क्या केवल तस्कर व्यापार या विदेशी मुद्रा के गोलमाल के कारण ही बिगड़ी है, क्या इसमें उन अनेक आर्थिक अपराधियों का हाथ नहीं है जो नकली दवाइयां बना रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस विधेयक को केवल तस्करी के दोषी लोगों तक ही सीमित रखने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तस्कर व्यापार और विदेशी मुद्रा की हेराफेरी में लगे लोगों तक ही इस विधेयक को सीमित न रखा जाए वरन् ऐसे लोगों को भी इसके अंतर्गत लाया जाए जो अन्य साधनों से धन इकठ्ठा करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को सलाह देता हूं कि वह श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे जैसे कर विशेषज्ञों के जाल में न फंसे क्योंकि विधेयक के तृतीय वाचन में केवल विधेयक का समर्थन या इसका विरोध किया जा सकता है ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Under clause 14 of this Bill, all courts have been barred from issuing stay orders. This is unfair.

Government should also clarify which particular moveable property belonging to the smugglers will be attached. I would also like to know whether all the moveable property can be attached or the provision of Civil Court in respect of attachment will be observed.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : श्री रामावतार शास्त्री ने एक विशिष्ट मामले का उल्लेख किया है । यदि वह मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देंगे तो मैं उसकी जांच करूंगा।

यद्यपि हमने दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र ले लिया है लेकिन उनके संवैधानिक अधिकार अवश्य सुरक्षित हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता । यह तो मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए ही है और यह सुनिश्चित करना है कि अदालतें विलम्ब न करें। इसलिए हम अदालतों से यह अधिकार क्षेत्र लेना चाहते हैं।

जहां तक तस्करों की समस्त सम्पत्ति जब्त करने का प्रश्न है इस बारे में मैं पहले ही एक संशोधन के उत्तर में बता चुका हूं कि 50 प्रतिशत के लगभग सम्पत्ति जब्त की जाएगी और जुर्माना भी किया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) AMENDMENT BILL

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

भारत सरकार ने कृषि जोत संबंधी मुख्य मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर भूमि की अधिकतम सीमा के लिए दिशा निर्देश सिद्धान्त बनाए हैं। दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम 1960 को उपरोक्त दिशा निर्देश सिद्धान्तों के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रपति ने 8 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) संशोधन अध्यादेश, 1975 जारी किया था। वर्तमान विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है।

विधेयक का मुख्य उपबंध यह है कि भूमि की किस्म के आधार पर एक परिवार के लिए भूमि की वर्तमान अधिकतम सीमा को 60 एकड़ के स्थान पर 54 एकड़ किया गया है।

खण्ड 4 में बताया गया है कि एक परिवार के पास अलग-अलग वर्ग की कितनी जमीन रह सकती है। जो जमीन सरकारी साधनों से सिंचित हो और जो दो फसलें पैदा कर सकती हो उसकी सीमा

5.8 हैक्टर रखी गई है। जिस ज़मीन में निजी साधनों से सिंचाई की व्यवस्था हो और जो दो फसलें दे सकती हो उसकी सीमा 7.25 हैक्टर रखी गई है। इसी प्रकार एक फसल पैदा करने वाली निजी साधनों से सिंचित और सरकारी साधनों से सिंचित जमीन के लिए क्रमशः 10.9 हैक्टर और 8.7 हैक्टर की सीमा निश्चित की गई है अन्य प्रकार की ज़मीन के लिए 21.8 हैक्टर की सीमा रखी गई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*.]

जिस परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं अधिकतम सीमा प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये अधिकतम सीमा के पांचवें भाग के बराबर बढ़ा दी जाएगी---जो अधिक से अधिक अधिकतम सीमा का दुगना हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त काश्तकार अपने प्रत्येक व्यस्क पुत्र के लिए अधिकतम सीमा से कम सीमा तक भूमि अपने पास रख सकता है।

वर्तमान अधिकतम सीमा कानून में उन बागानों को शामिल नहीं किया गया जिन पर बहुत रुपया लगाया गया है। यह छूट समाप्त कर दी गई है। अब केवल धर्मार्थ गौशाला अथवा प्रजनन फार्म की उस भूमि को छोड़ा गया है जिस पर ये फार्म 24-1-1971 को थे अथवा ऐसी भूमि को छूट दी गई है जो सहकारी बन्धक बैंक, राज्य या केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा अन्य किसी बैंक के अधिकार में है।

24 जनवरी, 1971 को या बाद में किए गए बिक्री करार को अतिरिक्त भूमि के निर्धारण के लिए स्वीकार्य नहीं माना जाएगा ।

अतिरिक्त भूमि के लिए 5000 रुपये से 10000 रुपये तक प्रति हैक्टयर मूल्य चुकाना होगा इसके अतिरिक्त उस भूमि पर बने मकान अथवा कुएं आदि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर मूल्य देना होगा ।

सरकारी अतिरिक्त भूमि भूमिहीन कृषि श्रमिकों को, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दी जाएगी ।

मैं आशा करता हूं सदन के सभी वर्ग इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : *मेरे दल ने हमेशा उन विधेयकों का समर्थन किया है जिनका संबंध भूमि सुधारों से था। हम हमेशा उचित भूमि सुधारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, ताकि भूमिहीन श्रमिकों और दलित वर्गों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश कांग्रेस सरकार ने जहां भी भूमि सुधारों को लागू करने की कोशिश की है ज़मीदार लोग बेनामी अन्तरण के नाम पर बच निकले और जहां भी अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया है वहां जरूरतमंद लोगों को यह नहीं मिली है।

वर्तमान विधेयक का संबंध दिल्ली से है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। 20 सूत्री कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिए यहां शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाना अधिक युक्तियुक्त

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated Version Based on English Translation of the speech Delivered in Bengali

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

होगा। यहां अधिकतर शहरी क्षेत्र ही हैं इसलिए उस पर सीमा लगाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में विधेयक का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।

धनवान जमींदारों ने जिन्हें इस विधेयक के आने का पता था पहले ही अपनी अतिरिक्त भूमि बनामी सौदे करके रफा दफा कर दी है। ऐसे सौदों को समाप्त किया जाए।

सिंचित भूमि की अधिकतम सीमा घटा कर 4 हैक्टेयर कर दी जाए और बागान तथा अन्य भूमि को 8 हैक्टेयर। इससे फालतू भूमि अधिक मात्रा में मिलेगी। सरकार ने कहा है कि इस प्रकार 600 हैक्टेयर भूमि मिलेगी अगर मेरा सुझाव मान लिया जाए तो और भी अधिक भूमि प्राप्त होगी। ऐसे जमींदारों को जो स्वयं खेती नहीं करते और जिनके आय के अन्य साधन हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाए, फालतू भूमि अनुसूचित जातियों और जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों और पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाए। भूमि वितरण का काम एक निर्वाचित समिति को सौंपा जाए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि काले धन वालों ने जिनके पास बहुत भूमि थी, इस अधिकतम सीमा अधिनियम से बचने के लिए पहले ही अपनी भूमि का अन्तरण कर दिया है और शहरी इमारतों इत्यादि को खरीद लिया है अत: इन व्यक्तियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए शहरी सम्पत्ति पर भी सीमा लगाना बहुत आवश्यक है तभी वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I welcome this measure. Some Industrialists, professionals and big officials have cornered big chunks of agricultural lands in and around Delhi with the purpose of indulging in land speculation. Meanwhile they have established big farms over there which are being used to evade income tax and for converting black money into white. I would, therefore, suggest that such land belonging to persons who are engaged in jobs other than agriculture should be taken over by Government. This land should be distributed to landless persons, scheduled Castes and Scheduled Tribes etc.

The population of Delhi is increasing at a fast rate. There is no reason that big and sprawling areas of land with in Delhi should continue in possession of I.A.R.I. Pusa and Delhi Cantonment Board. Pusa Institute and Delhi Cantonment can be shifted to some distant parts of Delhi . Generally such places are always far from the town. But in Delhi they are in the town itself. This land can be taken over by the Government and can be allotted for housing purposes. This will remove shortage of house accommodation and relieve congestion in Delhi. I hope the Minister will look into this suggestion.

A more comprehensive legislation should be brought in order to see that the object of the Bill is achieved

With these words I support this Bill.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : The Congress Government has failed miserably in the matter of land reforms. Land reforms should have been implemented within ten years of Independence but unfortunately the implementation of land legislation throughout the country has been very slow. The influential section of society like industrialists, big officials, political leaders have grabbed big chunks of land by fair and foul means and they are now trying to retain it by circumventing the law. I will, therefore, urge upon the Government that land ceiling laws should be effectively enforced. This single measure can go a long way in reducing disparities.

The 20 point Programme should be implemented seriously and sincerely. People have lost confidence as promises were not fulfilled in the past.

I appreciate that the ceiling has been reduced in the present Bill. But a loophole has been left in the name of other lands, including orchards which can be abused. I would urge upon the Minister to plug this loophole.

Although land is allotted to the poor and landless persons, they generally sell that landt the rich Government should see that they are not allowed to sell their land.

An all party Committee should be appointed which should be entrusted with the work of distributing surplus land among the poor, only then the deserving people will get land and there will be no corruption.

It has been stated that the Government will not have to incur any extra expenditure on the implementation of this law because Government will take money from the poor in lieu of land and with that money it will pay compensation to the landlords. This is not fair. If Government at all wants to pay some compensation it should pay from the its own pocket. The rate of compensation should be very nominal. The rates given in the Bill are very high.

With these words I support this Bill.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The principle behind the Bill is welcome. Many State Governments have already enacted laws in this regard and excess land is being distributed among landless persons. Similar type of legislation is being implemented in Delhi also.

[*Shri C. M. Stephen in the Chair*
श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुये]

Improvements can be made in certain provision of the Bill. Clause 4 of the Bill specifies ceiling on different categories of land. 5·8 hectares in case of land which is assured of irrigation from a Government source of irrigaton and is capable of yielding atleast 2 crops in a year. It is 7.25 hectares in case of land which is assured of irrigation and is capable of yielding atleast one crop in a year or 8·7 hectares, in case of land which is assured of irrigation from a Government source of irrigation and is capable of yielding atleast one crop in a year or 10·9 hectares in case of land which is assured of irrigation from private source of irrigation and is capable of yielding atleast one crop in a year or 21·8 hectares in case of any other land including any orchard.

Justice has not been done while fixing the ceiling on land which is assured of irrigation from a private source of irrigation as compared to the ceiling on land which is assured of irrigation from a Government source of irrigation while fixing ceiling on lands irrigated from private or Government sources intensity of water should be taken into consideration.

Certain moneyed people have purchased big tracts of land and developed orchards. No orchard can be developed without irrigation facilities. Why has the ceiling been fixed at 21·8 hectares in the case of orchards ? This ceiling is on the high side. It should be reduced.

There is a provision for taking back excess land from a transferee if any person has transferred to a landless person and it was within the ceiling. It should not be taken back from him.

The compensation which is being provided in the Bill is not on high side keeping in view the prices of land around Delhi. It is fully justified

Murginal farmers and small farmers have supported Government's policy of imposing ceiling on land holdings. But at the same time they want that ceiling should be imposed on urban property also. Unless there is ceiling on urban property there cannot be true socialism in the country.

Socialism can not be broughout about without ceiling on urban property.

Land has been allotted to the poor on papers only. No actual possession has been given to them. Land should be allotted to the really needy people only.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं । सभी राज्य सरकारों ने उन सामान्य सिद्धांतों को स्वीकार किया है जिन पर विधेयक

आधारित है दिल्ली में भी यह विधेयक पहले लाया जाना चाहिए था लेकिन कुछ स्थानीय कठिनाइयों के कारण इसे पहले नहीं लाया जा सका और संसद का सत्र न होने के कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ।

शहरी भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने के बारे में प्रश्न उठाया गया है । इस संबंध में सरकार चालू सत्र के दौरान इस आशय का एक विधान लाना चाहती है ।

दिल्ली के अनेक बेनामी सौदों की चर्चा की गयी है । यह विधेयक विगत अवधि से लागू होगा और जनवरी 1971 के बाद किया गया किसी किस्म का अन्तरण जो कि इस उपबंध का उल्लंघन करता है, स्वभावत: अवैध होगा ।

इस बात की चर्चा भी को गयी है कि सिंचित भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए । सीमा के संबंध में कोई वैध आपत्ति नहीं की जा सकती । यह सीमा बहुत ऊंची नहीं है । कई राज्यों में लगाई गई सीमाओं की अपेक्षा यह बहुत ही कम है । दिल्ली प्रशासन ने भूमि के विभिन्न वर्गों के संबंध में सीमाएं रखी हैं जो कि राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है ।

फल बागीचों के बारे में भी चर्चा की गयी है । इस पहलु पर मुख्य मंत्रियों ने जिनका परामर्श राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने से पहले भी लिया गया था, काफी सोच विचार किया है । अधिकांश बगीचे घने क्षेत्रों में है और उनको तोड़ने से उनके प्रबंध के बारे में कई समस्यायें उठ खड़ी होंगीं और देश की एक प्रतिशत भूमि भी बागीचों के अन्तर्गत नहीं आती । मूलत: यह भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधक नहीं ।

मुआवजे के संबंध में भी चर्चा की गयी है । कोई भी व्यक्ति जिसे दिल्ली के आसपास के मूल्य स्तर के बारे में जानकारी है उसे 5000 रुपए प्रति हैक्टेयर अथवा 2000 रुपए प्रति एकड़ का मूल्य अधिक ऊंचा नहीं लगेगा । दिल्ली के ईर्द गिद एक एकड़ भूमि का मूल्य 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है और दिल्ली के निकट तो मूल्य और भी अधिक हैं । अत: 2000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा कोई अधिक नहीं है । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई धनराशि की व्यवस्था इस विधेयक द्वारा की गई व्यवस्था की तुलना में थोड़ी अधिक है ।

कहा गया है कि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की गति धीमी है । हम भूमि की अधिकतम सीमा का क्रियान्वयन संसदीय प्रक्रिया से संसद के समक्ष कानून पेश करके कर रहे हैं । संविधान के अन्तर्गत भूमि राज्यों का विषय है । इसके बावजूद भी हमने भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में काफी प्रगति की है । यदि विश्व में कोई ऐसा देश है जहां भूमि सुधार लोकतांत्रिक ढंग से किए गए हैं तो वह भारत ही है । किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु सामान्य जागरुकता का निर्माण करना होगा । भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए जितना अनुकूल वातावरण इस समय है, वैसा कभी भी नहीं रहा । कई राज्यों में फालतू भूमि अर्जित की जा रही है और उसे समाज के कमजोर वर्गों में वितरित किया जा रहा है ।

इस बात को चर्चा की गयी है कि कुछ लोग सहकारी खेती के नाम से जमीन के मालिक बने बैठे हैं । अब इस कानून के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस प्रकार जमीन नहीं रख सकेगा ।

बागीचे के अन्तर्गत जमीन को शुष्क भूमि समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति 54 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा ।

मुझे इस बात की खुशी है कि सभा ने इस विधेयक के लिए अपना समर्थन दिया है । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि दिल्ली प्रशासन इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए पूरे प्रयास करेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम का और संशोधन करन वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करते हैं ।

खण्ड 2

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I am moving my amendment No. 1. This bill is full of flaws. The land is acquired for public purpose but in fact it is not utilised as such. Land was acquired at Patna from the farmers at very cheap rates which has been further allotted to the rich people on very high rates. The term Public 'Purpose' should be made clear and my amendment is a step in that direction.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह संशोधन इस विधेयक के लिए प्रसांगिक नहीं है । दिल्ली के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ मोटे-मोटे सिद्धांत निर्धारित किए हैं । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

Shri Ramavatar Shastri : I am moving my amendment No. 2. My amendment aims at substituting 21·8 hectares for 14 hectares. I hope government will accept this amendment after going through the spirit behind it.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : 54 करोड़ की सीमा के अंदर वह जमीन आती है जो असिंचित है दिल्ली प्रशासन ने इसका सुझाव दिया था । हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखता हुं ।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 9 to 15 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1 , अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1. the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं : –

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : –

"कि विधेयक पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक

REGIONAL RURAL BANKS BILL

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के परियोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधायें विशिष्टितया छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, प्रदान करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 का स्थान लेना है । यह अध्यादेश ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार, वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधायें प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य

से देश में सरकार को प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने हेतु 20 सूत्री सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण से राहत दिलाने के उपायों के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में 26 सितम्बर 1975 को प्रख्यापित किया गया था। ये बैंक पुनर्गठित प्राइमरी सहकारी समितियों तथा किसान सेवा समितियों का वित्त पोषण करेंगे जिनकी सदस्यता सर्वसाधारण के लिए खुली है।

विकास सम्भाव्यताओं वाले ऐसे क्षेत्रों में जहां संस्थागत ऋण व्यवस्था अपर्याप्त है, में इस प्रकार के 7 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी है। प्रथम 5 बैंक, 2 अक्तूबर, 1975 को स्थापित किए गए हैं।

अप्रैल 1977 से पहले 50 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का लक्ष्य है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की जमा धनराशि जमा धन बीमा निगम अधिनियम 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत आयेगी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, जमाधन बीमा निगम अधिनियम, 1961 तथा बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 के अनुवर्ती संशोधनों को भी विधेयक में निगमित किया गया है।

इन बैंकों की स्थापना के लिए विधान बनाना आवश्यक है ताकि एक ऐसी संस्था हो जो सहकारी समितियों तथा वाणिज्यक बैंकों के लाभों का संयोजन कर सके और जिनसे ग्रामीण लोगों विशेष कर सीमान्त किसानों, ग्रामीण कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों आदि की प्रभावशाली ढंग से सेवा कर सके।

श्री रामावतार शास्त्री : हमने कुछ संशोधनों की सूचना दी है। इन्हें स्वीकार किया जाये ताकि कल हमें इन्हें पेश करने का अवसर मिल सके।

सभापति महोदय : इस पर चर्चा होगी। आप अपना नाम भेज सकते हैं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : (उलुबेरिया) : सभापति महोदय, ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण जनता की सहायता करना है। परन्तु ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए जो बैंक खोले जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यदि सरकार वस्ताव में ग्रामीण जनता की सहायता करना चाहती है, तो उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है, और उनमें से अधिकांश लोग किसान और खेतिहर श्रमिक हैं, जिन्हें कठिनाई के समय ऋण लेने के लिए महाजनों के पास जाना पड़ता है। यदि सरकार उन लोगों की सहायता करना चाहती है तथा उन्हें साहूकारों अथवा बड़े-बड़े व्यापारियों के चंगुल से बचाना चाहती है, तो फिर ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए जिसमें ये गरीब लोग बैंकों से लिया गया ऋण उत्पादन सम्बन्धी कार्यों में लगा सकें, कुछ बचत कर सकें, अपने परिवारों का गुजारा कर सकें और बैंकों से लिया गया ऋण वापस कर सकें। गरीब किसानों और खेतिहार मजदूरों के लिए यह स्थिति पदा की जानी चाहिए।

इसके लिए यह जरूरी है कि इन गरीब किसानों के पास पर्याप्त भूमि हो, इन्हें उचित सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हों तथा उन्हें बीज आदि उपलब्ध हों, ताकि वे थोड़ी भूमि में भी इतना उत्पादन कर सकें जिससे अपने परिवार का गुजारा कर सकें तथा फालतू उत्पादन को बेच कर लाभ कमा सकें और बैंकों का ऋण वापस कर सकें। हमें इस मूल बात पर विचार करना होगा।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है, चाहे वे अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के हैं अथवा कोई अन्य लोग हैं, यदि सरकार उन्हें भूमि नहीं दे सकती, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले तथा सारा साल काम मिलता रहे। इसके लिए ग्रामों में उद्योगों का विकास करना होगा ताकि जब फसल की कटाई तथा बुआई का काम न हो तो मजदूरों को वहां उन उद्योगों में रोजगार मिल सके।

इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में आमूल भूमी सुधार की आवश्यकता है। कृषिक कर जांच समिति के प्रतिवेदन अथवा राय समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि दो-तिहाई कृषि उत्पाद केवल 10 प्रतिशत परिवारों के नियंत्रण में हैं। यदि सरकार वास्तव में निर्धन ग्रामीणों की सहायता करना चाहती है तो उन्हें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होगा। तथा गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों की अर्थ व्यवस्था को उत्पादक बनाना होगा। इसके लिए उन्हें सुधरे हुए बीज, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी, ताकि वे थोड़ी भूमि में भी पर्याप्त उपज कर सकें। उपज को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। ग्रामीण बैंकों का लाभ ग्रामीण गरीब जनता को तभी मिल सकता है, जब कि उन की अर्थ व्यवस्था को उत्पादक बनाया जाये। गरीब जनता को महाजनों से छुटकारा दिलाया जाये, अन्यथा वे इन बैंकों के उद्देश्यों को ही विफल कर देंगे।

इसके अलावा सरकार को ग्रामीण जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि वे ही जनता की वास्तविक आवश्यकताएं बता सकते हैं। अधिकारी गांवों के लोगों की अन्दरुनी जिन्दगी के बारे में इतनी आसानी से नहीं जान सकते।

मंत्री महोदय की ओर से एक सुझाव आया था कि ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को कम वेतन दिया जायेगा और उन्हें नगरों के बैंकों के कर्मचारियों की भांति भारी वेतन नहीं दिया जायेगा। परन्तु यह सुझाव ठीक नहीं है। ग्रामीण बैंकों में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी विशेषज्ञ होने चाहिएं। विशेषज्ञों के अभाव में ग्रामीण बैंक ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेंगे। इन कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। इन्हें कम से कम इतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे वे गांवों में विश्वास और सुरक्षा की भावना से जा सकें और ग्रामीण बैंकों के विकास में सहायता दे सकें।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Mr. Chairman, Sir, I welcome the Bill brought forward by the hon. Minister Regional Rural Banks are being set up under the 20-point Programme. The Government have freed the poor labourers, agricultural labourers, small peasants and marginal farmers from the clutches of money lenders and capitalists. Now the money lenders are not giving them loans. The Government are, therefore setting up these banks to help those people.

But the setting up of these banks alone will not solve the entire problem, because their branches may not be able to cover the entire rural area. Along with the setting up of these rural banks, the Government should make arrangements for advancing loans to poor peasants, agricultural workers and small artisans through post offices and Co-operative banks. Unless it is done the purpose of setting up rural regional banks will not be fufilled. The Government should issue pass books to these people indicating the amount of loan which could be given to them. Credit worthiness of a person can be determined keeping in view the land or house or any other property he possesses. If a person does not possess any property against which loan can be advanced to him, the State Government should stand surety through Gram Panchayats or Co-operative societies. A minimum credit limit could be fixed at Rs. 500.

[Shri Nathu Ram Ahirwar]

Lastly I would suggest that the poor people for whose benefit the Government are setting up rural regional banks should be given representation on the Board of Directors of these banks.

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I extend my full support to the Bill. It is a big step forward in the way of implementing the 20-point programme. Though it is only a beginning, yet I am sure that it will go a long way in removing the difficulties of the rural poor.

The main object of the Bill is to help the rural poor and make them self supporting. I would, therefore suggest that the proposed regional banks should be manned by the local people in the Village. Training classes may be opened for training them in banking procedure etc.

Provision of one crore rupees has been made for this purpose. This amount stoo in adequate to meet the requirements of the rural people. A number of schemes are beiing introduced by the Government for the poor and landless people in the village. It is proposed to allot them agricultural land, unless they have the means to bring the land proposed to be allotted to them under cultivation they will not be able to do anything and for bringing the land under cultivation proposed to be allotted to them, they will require money in order to purchase bullocks, implements seeds and other inputs. Therefore more funds should be provided for this purpose.

Besides setting up regional rural banks, industrial training institutes should be established at tehsil level and there should be at least one industrial training institute in each tehsil so that the people could be trained in handicraft and other useful trades.

The Government are going to appoint Board of Directors which will run these banks. I will suggest that only those persons who have full faith in 20-point programme and who are honest should be appointed as members of the Board.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Chairman, Sir, the majority of our people in rural areas depend on agriculture and most of them are small farmers, landless labour and weavers. They need money. The money lenders chage heavy interest and exploit these people. This Bill has been brought to save the rural public from the clutches of the money lenders and therefore it is a step in the right direction.

The hon. Minister has stated that eight banks have been set up throughout the country. Our country is very big and in my state U.P. alone there are 33 backward districts where most of the people live below poverty line. So, eight banks are too inadequate. The number of these banks and the area covered by them should be increased considerably to give succour to the poor people in rural areas.

The present procedure of getting loan is too cumbersome and dilatory. The people have o face great difficulties in getting loans. The procedure should be simplified and it should not be left on the banks but spelt out in the Bill it self.

As regards the Board of Directors I fear that corrupt and influential people and money-lenders etc. will get into the Boards as they have done in the Cooperatives and they will try to sabotage the whole scheme. So the Government must see that the representatives of the farmers and land less workers are included in the Board of Directors.

It is surprising that the employees of these banks would be given the same facilities as are available to state Government employees. It means that really competent and hard working people will not like to go to villages. So I would suggest that the employees of these banks should be given more pay and allowances than the state Government employees. Only then good and competent persons will be available to man these banks.

The rural people, particularly those belonging to backward areas are facing great difficulties because they depend on loans and the money-lenders have stopped advancing loans. So adequate number of branches of those banks should be opened in the rural areas so that the needs of the rural population could be met adequately.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : यह विधेयक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का सुधार करने तथा छोटे और सीमान्त किसानों एवम् कृषि श्रमिकों और कारीगरों की सहायता करने के लिए लाया गया है, इस लिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हू । परन्तु इस विधेयक में

यह नहीं बताया गया है कि क्षेत्र कितना बड़ा होगा, वह एक जिले का होगा अथवा पांच जिलों का अथवा दस जिलों का । मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक क्षेत्र एक जिले का होना चाहिए ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक से उन निर्धन लोगों को लाभ होगा जिन की भूमि उन साहूकारों ने हथिया ली है, जो बहुत अधिक ब्याज की दर पर उन्हें ऋण दिया करते थे । इन बैंकों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राय: यह देखा गया है कि एक गरीब किसान को ऋण की जितनी राशि मंजूर होती है, उस में से 50 प्रतिशत तक. राशि बैंक के कर्मचारी हड़प लेते हैं । इस के अतिरिक्त ब्याज की दर बहुत मामूली होनी चाहिए । विधेयक में ब्याज की दर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । मेरा सुझाव है कि ब्याज की दर नाम मात्र होनी चाहिए तथा अन्य बैंकों के ब्याज की दर के बराबर नहीं होनी चाहिए ।

जहां तक निदेशक मण्डल का प्रश्न है, मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले तीन निदेशकों में से दो महिलायें होनी चाहिएं । प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी उसी क्षेत्र के होने चाहिएं । इन बैंकों में 50 प्रतिशत कर्मचारी महिलायें होनी चाहिए और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए ।

कारीगरों, किसानों और कृषि श्रमिकों को उदारता से ऋण दिये जाने चाहिएं, परन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन ऋण का उपयोग अन्य कार्यों में न हो, क्योंकि यदि वे इस धन को विवाह आदि पर खर्च कर देंगे, तो वे इसे वापस नहीं कर सकेंगे ।

यदि किसी गरीब किसान की भूमि मुकदमे के बाद बेची जाती है, तो उसे सब से पहले स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं ।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : The Bill deserves our full support because it is a step in the right direction as it has been brought to help the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs. But there are cartain lacunas in this measure. There is no involvement of agricultural graduates in the scheme of recuitment and training. Agricultural graduates should be involved in this scheme.

The Bill has been brought for bettering the lot of the rural people. But nothing has been said about the involvement of the rural people in this scheme. So my suggestion is that rural people should be involved in this scheme and so far as the recruitment policy for these rural banks is concerned local people should be given employment wherever new branches of the banks are opened. If employment and training is given to the local people it is natural that they will serve their areas better.

No doubt,, the Bill has been brought to help the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, but nothing has been said about their inclusion in the in the Board of Directors. My suggestion is that one representative each of marginal farmers, agricultural landless labourers, artisans and small entrepreneurs should be there in the Board of Directors. The Chairman of Zila Parishad can also be included in it .

Clause 11 provides that the Central Government shall appoint an individual to be the Chairman of a Regional Rural Bank and specify the period not exceeding five years. I suggest that it should be not more than three years, because in the preceding clause it has been provided that the term of office of the Members would be two years.

As my hon. friend Shri Sokhi has pointed out the term 'Regional Rural Bank' has not been clearly defined in the Bill. One such bank must be opened in the backward areas of North Bihar.

So far as the question of loan is concerned, rules regarding advancing of loans should be so framed that the main object of the Bill is not defeated. Rules should be relaxed, if necessary, to help the poor labourers.

It has been rightly laid down in the Bill that the pay of Bank employees would be fixed in Consultation with the State Government. But nothing has been said in the Bill about the marketing services for artisans or landless labourers. This should be done.

सभापति महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 21 जनवरी 1976/1 माघ, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday January 21, 1976/Magha I, 1897 (Saka)

GMGIPND LS III 2451 LS 8-6-76 200

P.L.S. 48 55. 10. 76 (N)
200

© 1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.